18 सूरए अल कहफ़

न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से कुरान की उक्त कथाओं की ऐतिहासिकता और मिथक के रूप में मूल्यांकन:

न्याय दर्शन भारतीय दर्शन के छह प्रमुख दर्शनों में से एक है, जो तर्क, प्रमाण, और सत्यापन पर आधारित है। इस प्रणाली के आधार पर, हम कुरान की इन कथाओं को ऐतिहासिक या मिथक मानने के लिए तर्कसंगत रूप से जांच सकते हैं।

---

1. मिथक और ऐतिहासिकता का परीक्षण (Testing Myth vs. History):

न्याय दर्शन में किसी भी कथन की सत्यता को प्रमाण (प्रमाणों) के माध्यम से परखा जाता है। ये प्रमाण चार प्रकार के माने जाते हैं:

- **प्रत्यक्ष (Perception): प्रत्यक्ष अनुभव।**
- **अनुमान (Inference): तर्क से निष्कर्ष।**
- **उपमान (Comparison): समानता से सीख।**
- **शब्द (Testimony): विश्वसनीय स्रोत से जानकारी।**

इन कहानियों का मूल्यांकन इन्हीं चार आधारों पर किया जा सकता है।

---

2. न्याय दर्शन के आधार पर प्रमुख कथाओं का विश्लेषण:

(क) गुफा के साथियों की कहानी (Story of Companions of the Cave):

1. **कथन: कुछ लोग गुफा में सो गए और 300+9 साल बाद जागे।**
   - **न्याय दर्शन का परीक्षण:**
     - **प्रत्यक्ष: ऐसा कोई भौतिक या ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है जो यह साबित करे कि लोग सैकड़ों वर्षों तक सो सकते हैं।**

        - अनुमान: प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार, इतने लंबे समय तक सोने पर शरीर का क्षय हो जाएगा।
        - उपमान: अन्य किसी ज्ञात ऐतिहासिक घटना में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है।
        - शब्द: यदि यह कहानी कुरान का एक भाग है, तो इसे सत्य मानने के लिए केवल शब्द प्रमाण पर निर्भर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अन्य प्रमाणों के अभाव में अस्पष्ट है।
    - निष्कर्ष: न्याय दर्शन के आधार पर यह कहानी मिथक के समान लगती है।

(ख) सूरज के उदय और अस्त की विशिष्ट स्थिति (Sun Rising and Setting for the Cave):

2. **कथन: सूरज गुफा के अंदर विशेष रूप से आता और जाता था।**
    - **न्याय दर्शन का परीक्षण:**
        - **प्रत्यक्ष:** भौतिक और खगोलीय विज्ञान इस कथन का समर्थन नहीं करते। सूरज की गति पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है, न कि किसी विशेष गुफा के लिए।
        - **अनुमान:** सूर्य का गुफा के लिए विशेष व्यवहार करना भौतिक नियमों के विपरीत है।
        - **उपमान:** ऐसा कोई खगोलीय या ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है जो इसका समर्थन करे।
    - **निष्कर्ष:** यह वर्णन वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से अविश्वसनीय प्रतीत होता है।

(ग) ज़ुलक़रनैन और दीवार का निर्माण (Zulqarnain and the Wall):

3. **कथन: ज़ुलक़रनैन ने याजूज और माजूज से बचाने के लिए एक दीवार बनाई।**
    - **न्याय दर्शन का परीक्षण:**
        - **प्रत्यक्ष:** ज़ुलक़रनैन और उनकी दीवार के ऐतिहासिक प्रमाण अनुपलब्ध हैं।
        - **अनुमान:** एक दीवार किसी जाति को स्थायी रूप से कैद नहीं कर सकती, क्योंकि समय के साथ इसे पार किया जा सकता है।
        - **उपमान:** इतिहास में अन्य साम्राज्यों द्वारा बनाई गई दीवारें (जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना) केवल अस्थायी रक्षात्मक उपाय थे।
    - **निष्कर्ष:** यह कहानी तार्किक और ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में मिथक प्रतीत होती है।

(घ) गोग और मागोग (Gog and Magog):

4. **कथन: गोग और मागोग की रिहाई से प्रलय का समय आएगा।**
    - **न्याय दर्शन का परीक्षण:**

        - **प्रत्यक्ष: गोग और मागोग की जाति का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है।**
        - **अनुमान: प्रलय की यह भविष्यवाणी भौतिक या वैज्ञानिक आधार पर परखी नहीं जा सकती।**
        - **उपमान: ऐसी भविष्यवाणियां कई धार्मिक ग्रंथों में हैं, लेकिन वे ऐतिहासिक सत्यापन से परे हैं।**
    - **निष्कर्ष: यह कथन अधिक मिथकीय प्रतीत होता है।**

(ड़) मूसा और अल्लाह के सेवक की कहानी (Moses and the Knowledgeable Slave):

5. **कथन: मूसा ने एक ज्ञानी सेवक से ज्ञान प्राप्त किया, जिसने जहाज को क्षति पहुंचाई, एक बच्चे को मारा, और एक दीवार बनाई।**
    - **न्याय दर्शन का परीक्षण:**
        - **प्रत्यक्ष: ऐसी घटनाओं का ऐतिहासिक प्रमाण अनुपलब्ध है।**
        - **अनुमान: बिना स्पष्टीकरण के इस प्रकार की घटनाएं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं।**
        - **शब्द: इस कहानी को केवल धर्मग्रंथ के आधार पर स्वीकार करना तर्कसंगत नहीं है।**
    - **निष्कर्ष: यह कहानी ऐतिहासिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरती।**

---

3. न्याय दर्शन के आधार पर सामान्य तर्क:

1. **स्वाभाविकता (Naturalism):**
    - **सभी घटनाएं स्वाभाविक और वैज्ञानिक नियमों के अनुसार होनी चाहिए।**
    - **इन कहानियों में प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन होता है, जिससे वे मिथकीय प्रतीत होती हैं।**
2. **व्याप्ति (Universality):**
    - **सत्य सार्वभौमिक होना चाहिए।**
    - **इन कथाओं के लिए कोई सार्वभौमिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है।**
3. **अस्पष्टता (Ambiguity):**
    - **इन कहानियों की व्याख्या स्पष्ट और संदेह रहित होनी चाहिए।**
    - **लेकिन इनमें विरोधाभास और अस्पष्टता है।**

4. **प्रमाण का अभाव (Lack of Evidence):**
    - **इन कथाओं के समर्थन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं।**
    - **केवल धर्मग्रंथ का संदर्भ देना न्याय दर्शन के प्रमाण सिद्धांत का उल्लंघन करता है।**

निष्कर्ष (Conclusion):

न्याय दर्शन के आधार पर, कुरान की ये कहानियां तार्किकता, वैज्ञानिकता, और ऐतिहासिक प्रमाणों की कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं।

- **इनमें प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन है।**
- **ऐतिहासिक और भौतिक प्रमाण अनुपस्थित हैं।**
- **इनकी व्याख्या अस्पष्ट और विरोधाभासी है।**

अतः न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से, ये कथाएं अधिक मिथकीय प्रतीत होती हैं और इन्हें ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

आयत 1-5 का न्याय दर्शन के आधार पर विश्लेषण और निष्कर्ष

आयत 1:

विवरण:
इस आयत में कहा गया है कि कुरान को ख़ुदा ने अपने पैग़ंबर (मोहम्मद) पर नाज़िल किया और उसमें कोई खामी नहीं है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **प्रमाण (Pramana):**
    - **यह दावा कि "कुरान में कोई खामी नहीं है," सत्यापित करने के लिए तर्क या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।**
    - **न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी सत्य की स्वीकृति प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए। बिना प्रमाण के यह दावा अस्वीकार्य है।**
2. **विरोधाभास (Contradiction):**

- कुरान में कई स्थानों पर कथन एक-दूसरे का खंडन करते हैं। उदाहरण के लिए, सूरह 2:256 कहती है कि धर्म में कोई बाध्यता नहीं है, जबकि अन्य स्थानों (जैसे, सूरह 9:5) में इस्लाम न मानने वालों के खिलाफ हिंसा की बात की गई है।
- इस विरोधाभास के कारण, "खामी न होने" का दावा न्याय दर्शन के विपरीत है।

निष्कर्ष:
कुरान में "कोई खामी नहीं" का दावा तर्क और प्रमाण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

आयत 2:

विवरण:
यह आयत कहती है कि कुरान लोगों को आने वाले अज़ाब से डराने और मोमिनों को उनके अच्छे कामों के लिए इनाम देने के लिए है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - न्याय दर्शन में तर्क और भय के आधार पर सत्य को प्रमाणित करने का विचार नहीं है।
    - यहां "डराने" की बात सत्य को स्थापित करने के बजाय डर का उपयोग करके स्वीकृति पाने का प्रयास है। यह एक प्रकार का हेत्वाभास (Fallacy of Appeal to Fear) है।
2. **नैतिकता (Moral Perspective):**
    - अच्छे कर्म करने के लिए भय का उपयोग करना नैतिकता के सार्वभौमिक सिद्धांत के विपरीत है।
    - नैतिकता का आधार प्रेम और सह-अस्तित्व होना चाहिए, न कि अज़ाब का डर।

निष्कर्ष:
अच्छे कर्मों के लिए इनाम और बुरे कर्मों के लिए सज़ा की बात सही है, लेकिन "डराने" की रणनीति नैतिकता और तर्क की दृष्टि से कमजोर है।

आयत 3:

विवरण:
यह आयत कहती है कि अच्छे काम करने वालों को हमेशा के लिए सुकून और इनाम मिलेगा।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **प्रमेय (Prameya):**
   - **"हमेशा के लिए सुकून" का दावा प्रमाण और अनुभवजन्य सत्य से परे है।**
   - **न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी सत्य को सिद्ध करने के लिए व्यावहारिक आधार होना चाहिए।**
   - **"हमेशा" जैसी अवधारणा को प्रमाणित करना असंभव है, क्योंकि यह मानव अनुभव से परे है।**
2. **व्याप्ति (Vyapti):**
   - **यह दावा केवल "मोमिनों" के लिए सीमित है, जो इसकी सार्वभौमिकता को कमजोर करता है।**
   - **न्याय दर्शन में सत्य और तर्क सभी के लिए समान होने चाहिए।**

निष्कर्ष:
"हमेशा के लिए सुकून" का दावा व्यावहारिक और तर्कसंगत आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 4:

विवरण:
यह आयत उन लोगों को चेतावनी देती है जो मानते हैं कि ख़ुदा की औलाद है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **विरोधाभास (Contradiction):**
   - **आयत में दावा किया गया है कि ख़ुदा की कोई औलाद नहीं है। लेकिन अन्य धर्मों और संस्कृतियों में "ईश्वर की संतान" (जैसे, सनातन धर्म में "जीवात्मा" को परमात्मा की संतान कहा गया है) की अवधारणा मौजूद है।**
   - **यह दृष्टिकोण विरोधाभास पैदा करता है, क्योंकि सत्य सार्वभौमिक होना चाहिए।**

2. **अस्पष्टता (Ambiguity):**
    - "ख़ुदा की औलाद" का खंडन करने के लिए कोई स्पष्ट और तार्किक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया।
    - यह अस्पष्टता न्याय दर्शन के प्रमाण (Pramana) सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

निष्कर्ष:
 यह आयत एक सांस्कृतिक मतभेद को दर्शाती है, लेकिन इसके लिए तर्क और प्रमाण का अभाव है।

आयत 5:

विवरण:
 इस आयत में कहा गया है कि जो लोग मानते हैं कि ख़ुदा की औलाद है, वे झूठ बोलते हैं और उन्हें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेत्वाभास (Fallacy):**
    - "झूठ बोलने" का दावा बिना किसी प्रमाण या तर्क के किया गया है।
    - न्याय दर्शन में बिना प्रमाण के किसी विचार को झूठा कहना एक तर्क दोष (Fallacy) है।
2. **प्रमाण (Pramana):**
    - "उनके पास कोई ज्ञान नहीं है" का दावा न्याय दर्शन के प्रमाण सिद्धांत के विपरीत है।
    - अन्य धर्मों और दार्शनिक दृष्टिकोणों में "ईश्वर की संतान" की अवधारणा का तात्त्विक और दार्शनिक आधार है।
3. **नैतिकता (Moral Critique):**
    - अन्य विश्वासों को "झूठा" कहने का रवैया नैतिक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य है।
    - न्याय दर्शन सह-अस्तित्व और परस्पर सम्मान पर जोर देता है।

निष्कर्ष:
 यह आयत तर्क और प्रमाण के आधार पर कमजोर है और अन्य विचारधाराओं के प्रति असहिष्णुता दिखाती है।

सामान्य निष्कर्ष:

न्याय दर्शन के सिद्धांतों के आधार पर, आयत 1-5 में निम्नलिखित कमजोरियां पाई गईं:

1. **तर्क और प्रमाण का अभाव: दावों को सत्यापित करने के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।**
2. **विरोधाभास: विभिन्न आयतों में वर्णित कथनों में तार्किक संगति की कमी है।**
3. **नैतिक दृष्टिकोण: डर और असहिष्णुता का उपयोग नैतिकता और सह-अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।**
4. **व्याप्ति का अभाव: कुरान में वर्णित दावे केवल "मोमिनों" तक सीमित हैं, जो इसे सार्वभौमिक सत्य से अलग करता है।**

इस प्रकार, आयत 1-5 न्याय दर्शन के सिद्धांतों - प्रमाण, व्याप्ति, और तर्क - की कसौटी पर खरा नहीं उतरतीं।

आयत 6-10 का न्याय दर्शन के आधार पर विश्लेषण और निष्कर्ष

आयत 6:

विवरण:
इस आयत में कहा गया है कि यदि लोग सत्य को नहीं मानते, तो रसूल (मोहम्मद) उनके प्रति अत्यधिक चिंता में अपनी जान तक गंवा सकते हैं।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **न्याय दर्शन के अनुसार, सत्य को तार्किक और प्रमाणित तर्क के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**
    - **यहां सत्य को स्थापित करने का तरीका भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, जो तर्क के बजाय संवेदनाओं पर निर्भर है।**
2. **नैतिकता (Moral Perspective):**

- किसी के विश्वास न करने पर "रसूल की जान तक चले जाने" का वर्णन यह संकेत देता है कि सत्य की स्वीकृति केवल बलपूर्वक या भावनात्मक दबाव के तहत प्राप्त की जा सकती है।
- यह नैतिकता और तार्किकता के सार्वभौमिक सिद्धांत के विपरीत है।

निष्कर्ष:
यह आयत सत्य के तर्कसंगत और प्रमाणित सिद्धांत पर खरा नहीं उतरती और भावनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है।

आयत 7:

विवरण:
इस आयत में कहा गया है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है, वह उसकी "रौनक" है और उसका उद्देश्य मानवता का परीक्षण करना है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **प्रमाण (Pramana):**
   - यह दावा कि पृथ्वी की रचनाएँ केवल एक "परीक्षण" के लिए हैं, किसी प्रकार के अनुभवजन्य या तात्त्विक प्रमाण के बिना किया गया है।
   - यह न्याय दर्शन के प्रमेय सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
2. **नैतिकता और उद्देश्य:**
   - यदि पृथ्वी की रचनाएँ केवल एक परीक्षण हैं, तो यह उनके उद्देश्य को सीमित कर देता है।
   - न्याय दर्शन में संसार को केवल "परीक्षण" मानना उसके उपयोगितावाद और तात्त्विक महत्व को कमजोर करता है।

निष्कर्ष:
यह आयत प्रकृति और पृथ्वी के महत्व को सीमित दृष्टिकोण से देखती है, जो न्याय दर्शन के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है।

आयत 8:

विवरण:
इस आयत में कहा गया है कि एक दिन पृथ्वी की सभी रचनाएँ नष्ट हो जाएँगी।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **अनिश्चितता (Uncertainty):**
   - **"सब कुछ मिटा देने" का दावा भविष्य की एक घटना के रूप में किया गया है, जो अनुभवजन्य सत्य और प्रमाण से परे है।**
   - **न्याय दर्शन में किसी भी दावे को प्रमाण और तर्क के माध्यम से सिद्ध किया जाना चाहिए।**
2. **अस्पष्टता (Ambiguity):**
   - **यह नहीं बताया गया है कि यह विनाश कैसे और क्यों होगा।**
   - **न्याय दर्शन स्पष्टता और तर्क की मांग करता है, जो यहां अनुपस्थित है।**

निष्कर्ष:
यह आयत भविष्य की एक अस्पष्ट और बिना प्रमाणित घटना का वर्णन करती है, जो तर्क और न्याय दर्शन के प्रमेय सिद्धांत पर खरा नहीं उतरती।

आयत 9:

विवरण:
यह आयत असहाब-ए-कहफ (गुफा में रहने वाले युवकों) और उनकी कहानी को "ख़ुदा की निशानी" के रूप में प्रस्तुत करती है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
   - **"ख़ुदा की निशानी" का दावा करने के लिए किसी प्रकार का प्रमाण या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।**
   - **बिना प्रमाण के किसी घटना को "अलौकिक" कहना न्याय दर्शन के प्रमेय और प्रमाण सिद्धांत का उल्लंघन करता है।**
2. **व्याप्ति (Vyapti):**

    - यदि यह घटना "ख़ुदा की निशानी" है, तो इसे सार्वभौमिक प्रमाण और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
    - केवल एक कहानी के आधार पर इसे प्रमाणित करना तर्कसंगत नहीं है।

निष्कर्ष:
यह आयत असहाब-ए-कहफ की कहानी को बिना किसी तर्क या प्रमाण के "ख़ुदा की निशानी" के रूप में प्रस्तुत करती है, जो न्याय दर्शन के विपरीत है।

आयत 10:

विवरण:
यह आयत गुफा में पहुंचे युवकों की प्रार्थना का वर्णन करती है, जिसमें वे अपने ईश्वर से मदद और सफलता की कामना करते हैं।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **प्रमेय (Prameya):**
    - "प्रार्थना" को सफल बनाने का आधार या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।
    - न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी घटना के पीछे कारण और परिणाम का तार्किक आधार होना चाहिए।
2. **नैतिकता और स्वतंत्रता:**
    - यह आयत प्रार्थना के माध्यम से "ईश्वर की दया" पर निर्भरता को दर्शाती है।
    - न्याय दर्शन में यह स्वतंत्र इच्छा और कर्म सिद्धांत के विपरीत है।

निष्कर्ष:
यह आयत प्रार्थना और दया पर आधारित है, लेकिन कर्म और तर्क के आधार पर इसका कोई स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं करती।

सामान्य निष्कर्ष:

न्याय दर्शन के आधार पर आयत 6-10 में निम्नलिखित कमजोरियां पाई गईं:

1. **भावनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग: सत्य और तर्क को स्थापित करने के लिए प्रमाण के बजाय भावनाओं पर अधिक जोर दिया गया है।**
2. **प्रमाण और तर्क का अभाव: किसी भी दावे को सत्यापित करने के लिए अनुभवजन्य या तात्त्विक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।**
3. **अस्पष्टता: कई दावे अस्पष्ट और बिना तर्कसंगत आधार के हैं।**
4. **नैतिकता का संकीर्ण दृष्टिकोण: कर्म और स्वतंत्रता की बजाय प्रार्थना और दया पर अधिक निर्भरता दिखाई गई है।**

इस प्रकार, आयत 6-10 न्याय दर्शन के सिद्धांतों - तर्क, प्रमाण, और व्याप्ति - के आधार पर कमजोर हैं।

आयत 11-15 का न्याय दर्शन के आधार पर विश्लेषण और निष्कर्ष

आयत 11:

विवरण:
इस आयत में कहा गया है कि अल्लाह ने असहाब-ए-कहफ के कानों पर पर्दे डाल दिए और उन्हें कई वर्षों तक सुला दिया।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
   - **कानों पर "पर्दा डालने" और इतने लंबे समय तक सुलाए रखने का दावा प्रकृति के सामान्य नियमों के विपरीत है।**
   - **बिना प्रमाण और वैज्ञानिक आधार के, यह घटना तर्क और अनुभवजन्य सत्य के विपरीत है।**
2. **प्रमाण (Pramana):**
   - **न्याय दर्शन के अनुसार, कोई भी घटना तब तक सत्यापित नहीं मानी जाती जब तक उसके पीछे प्रमाण और तर्क न हो।**
   - **लंबे समय तक जीवित और सोए रहने का यह दावा प्राकृतिक और वैज्ञानिक नियमों के अनुरूप नहीं है।**

निष्कर्ष:
यह आयत एक असंभव और अविश्वसनीय घटना का वर्णन करती है, जो न्याय दर्शन के प्रमेय और प्रमाण सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

आयत 12:

विवरण:
इस आयत में कहा गया है कि उन्हें जगाया गया ताकि यह देखा जा सके कि उनमें से कौन गुफा में बिताए गए समय को बेहतर याद रखता है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
   - **अल्लाह के लिए "जानने" की आवश्यकता क्यों है, जबकि वह सर्वज्ञानी कहा जाता है?**
   - **सर्वज्ञानी ईश्वर के संदर्भ में "देखना और परखना" का दावा तार्किक विरोधाभास उत्पन्न करता है।**
2. **नैतिकता और उद्देश्य:**
   - **यदि यह केवल परीक्षा के लिए था, तो यह उन व्यक्तियों के लिए अनुचित और अनावश्यक प्रतीत होता है।**
   - **न्याय दर्शन में ईश्वर का स्वरूप न्यायसंगत और बिना पक्षपात के होना चाहिए।**

निष्कर्ष:
यह आयत अल्लाह की सर्वज्ञता और न्यायसंगतता पर तर्कसंगत प्रश्न उठाती है।

आयत 13:

विवरण:
इस आयत में कहा गया है कि असहाब-ए-कहफ के युवक अपने परवरदिगार पर विश्वास करते थे, और अल्लाह ने उनकी सोचने-समझने की शक्ति बढ़ा दी।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **"सोचने-समझने की शक्ति बढ़ाने" का दावा बिना किसी प्रक्रिया या तर्क के प्रस्तुत किया गया है।**
    - **यह तर्कसंगतता और व्यक्तिगत प्रयास के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।**
2. **व्याप्ति (Vyapti):**
    - **यदि अल्लाह सोचने-समझने की शक्ति बढ़ा सकता है, तो यह केवल इन युवकों तक सीमित क्यों है?**
    - **न्याय दर्शन के अनुसार, सत्य और ईश्वर का प्रभाव सार्वभौमिक होना चाहिए।**

निष्कर्ष:
यह आयत बिना तर्क और प्रमाण के दावे करती है, और अल्लाह के न्यायसंगत और सार्वभौमिक स्वरूप पर प्रश्न खड़ा करती है।

आयत 14:

विवरण:
इस आयत में असहाब-ए-कहफ के युवकों के दृढ़ विश्वास और उनके द्वारा "सिर्फ अल्लाह की इबादत" के निर्णय का वर्णन है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **"सिर्फ अल्लाह की इबादत" का दावा तार्किकता के बजाय विश्वास पर आधारित है।**
    - **न्याय दर्शन में सत्य को तर्क और प्रमाण के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए।**
2. **नैतिकता और स्वतंत्रता:**
    - **दूसरों के मतों को खारिज करना और केवल एक ईश्वर को मानना नैतिक रूप से संकीर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है।**
    - **न्याय दर्शन सह-अस्तित्व और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर जोर देता है।**

निष्कर्ष:
यह आयत विश्वास आधारित दावे करती है, जो तर्कसंगतता और नैतिकता की सार्वभौमिक अवधारणा के अनुरूप नहीं है।

आयत 15:

विवरण:
इस आयत में कहा गया है कि जो लोग अल्लाह के अलावा अन्य माबूदों को मानते हैं, उन्हें इसके लिए स्पष्ट प्रमाण देना चाहिए।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
   - **यहां यह नहीं बताया गया कि "अल्लाह" को मानने का प्रमाण क्या है।**
   - **न्याय दर्शन में किसी भी दावे को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है।**
2. **हेत्वाभास (Fallacy):**
   - **दूसरों से प्रमाण मांगना, लेकिन स्वयं के दावे के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत न करना, एक तर्क दोष (Logical Fallacy) है।**
   - **यह "दोहरे मानदंड" (Double Standard) को दर्शाता है।**

निष्कर्ष:
यह आयत दूसरों के दावों को प्रमाणित करने की मांग करती है, लेकिन स्वयं के दावे के लिए प्रमाण नहीं देती, जो तर्कसंगतता और न्याय दर्शन के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

सामान्य निष्कर्ष:

न्याय दर्शन के आधार पर आयत 11-15 में निम्नलिखित कमजोरियां पाई गईं:

1. **असंभव दावे: गुफा में वर्षों तक सोने जैसी घटनाएं तर्क और अनुभवजन्य सत्य के विपरीत हैं।**
2. **अल्लाह की सर्वज्ञता पर प्रश्न: "देखने और परखने" की आवश्यकता उसकी सर्वज्ञता के दावे का खंडन करती है।**

3. **नैतिकता और तर्क का अभाव: दूसरों से प्रमाण मांगने के बावजूद स्वयं के दावों को बिना प्रमाण के प्रस्तुत करना तर्कसंगत दृष्टिकोण का उल्लंघन करता है।**
4. **व्याप्ति का अभाव: अल्लाह की शक्ति और न्याय का प्रभाव सीमित और पक्षपातपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया है।**

न्याय दर्शन के सिद्धांत - तर्क, प्रमाण, और नैतिकता - के आधार पर आयत 11-15 कमजोर और असंगत हैं।

आयत 16-20 का न्याय दर्शन के आधार पर विश्लेषण और निष्कर्ष

आयत 16:

विवरण:
इस आयत में युवकों द्वारा गुफा में शरण लेने और अल्लाह की दया से उनका काम आसान होने का उल्लेख किया गया है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
   - **अल्लाह द्वारा "रहमत" और "आसानी" प्रदान करने का दावा बिना किसी तार्किक या व्यावहारिक प्रक्रिया के किया गया है।**
   - **यह कार्य किसी स्पष्ट तर्क या प्रमाण पर आधारित नहीं है।**
2. **व्याप्ति (Vyapti):**
   - **अगर अल्लाह सभी प्राणियों के लिए न्याय और सहायता प्रदान करता है, तो केवल इन युवकों तक यह सहायता सीमित क्यों है?**
   - **न्याय दर्शन के अनुसार, ईश्वर का आचरण सार्वभौमिक और निष्पक्ष होना चाहिए।**

निष्कर्ष:
यह आयत अल्लाह की सहायता और न्यायसंगतता के संदर्भ में पक्षपातपूर्ण और तर्कहीन प्रतीत होती है।

आयत 17:

विवरण:
 इस आयत में गुफा की स्थिति और सूर्य की रोशनी का वर्णन किया गया है, जिसमें युवकों को सूर्य की सीधी रोशनी से बचाया गया।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
   - **गुफा में सूर्य की रोशनी का "दाहिनी" और "बायीं" दिशा में झुकना एक प्राकृतिक घटना के बजाय अलौकिक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है।**
   - **यह वर्णन बिना किसी वैज्ञानिक या प्राकृतिक प्रक्रिया के है।**
2. **प्रमाण (Pramana):**
   - **न्याय दर्शन में कोई भी दावा प्रमाण और तर्क द्वारा स्थापित होना चाहिए।**
   - **यहां सूर्य की दिशा बदलने का दावा अनुभवजन्य या तर्कसंगत प्रमाण से रहित है।**

निष्कर्ष:
 यह आयत प्राकृतिक घटनाओं को अलौकिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है, जो तर्कसंगत दृष्टिकोण के विपरीत है।

आयत 18:

विवरण:
 इस आयत में युवकों की स्थिति का वर्णन किया गया है कि वे गहरी नींद में थे, करवट बदलते रहते थे, और उनका कुत्ता गुफा के प्रवेश पर बैठा था।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
   - **अल्लाह द्वारा "कभी दाहिनी और कभी बायीं करवट बदलवाना" प्राकृतिक नींद के नियमों का उल्लंघन करता है।**
   - **यह क्रिया बिना किसी तर्क या व्याख्या के प्रस्तुत की गई है।**
2. **हेत्वाभास (Fallacy):**

- ”अगर उन्हें देखोगे तो डर जाओगे” का वर्णन अतिशयोक्ति (Exaggeration) प्रतीत होता है।
- न्याय दर्शन के अनुसार, किसी घटना का वर्णन स्पष्ट और अतिशयोक्ति से रहित होना चाहिए।

निष्कर्ष:
यह आयत असंभव और अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाओं का वर्णन करती है, जो तर्क और प्राकृतिक नियमों के विपरीत हैं।

आयत 19:

विवरण:
इस आयत में युवकों के जागने के बाद उनकी चर्चा और शहर से खाना लाने के आदेश का उल्लेख किया गया है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - इतने लंबे समय तक गुफा में रहने के बाद उनके भोजन की प्राथमिकता और मुद्रा (सिक्के) का उल्लेख संदिग्ध है।
    - न्याय दर्शन के अनुसार, यह तार्किकता और वास्तविकता के नियमों का पालन नहीं करता।
2. **प्रमाण (Pramana):**
    - बिना किसी संदर्भ या प्रमाण के, यह घटना अनुभवजन्य सत्य से मेल नहीं खाती।

निष्कर्ष:
यह आयत तार्किक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से कमजोर है और अलौकिकता पर अधिक जोर देती है।

आयत 20:

विवरण:
इस आयत में युवकों की चिंता का वर्णन किया गया है कि अगर गुफा के बाहर के लोग उन्हें देख लेंगे तो उन्हें पत्थरों से मार दिया जाएगा या अपने धर्म को छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **नैतिकता और स्वतंत्रता:**
   - **न्याय दर्शन के अनुसार, धर्म को किसी पर भी जबरदस्ती थोपना या किसी की आस्था को बलपूर्वक बदलना नैतिकता के विपरीत है।**
   - **यहां वर्णित "संगसार" (पत्थरों से मारना) की प्रथा क्रूरता और अन्याय को दर्शाती है।**
2. **तर्कसंगतता:**
   - **अगर अल्लाह सर्वशक्तिमान है, तो वह अपने अनुयायियों की रक्षा क्यों नहीं करता?**
   - **युवकों की चिंता ईश्वर की सर्वशक्तिमता और न्यायसंगतता पर प्रश्न उठाती है।**

निष्कर्ष:
यह आयत धार्मिक स्वतंत्रता और ईश्वर की न्यायसंगतता के संदर्भ में कमजोर और तर्कहीन है।

सामान्य निष्कर्ष (Ayat 16-20):

न्याय दर्शन के अनुसार, इन आयतों में निम्नलिखित कमजोरियां पाई गईं:

1. **प्राकृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव:**
   - **आयतों में वर्णित घटनाएं प्राकृतिक और तार्किक नियमों के विपरीत हैं।**
2. **अतिशयोक्ति और अलौकिकता:**
   - **घटनाओं का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण और वास्तविकता से परे है।**
3. **नैतिकता और न्याय का अभाव:**
   - **धर्म के प्रति जबरदस्ती और क्रूर प्रथाएं नैतिकता और न्यायसंगतता के विपरीत हैं।**
4. **प्रमाण का अभाव:**
   - **आयतों में वर्णित दावों के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।**

न्याय दर्शन के सिद्धांत - तर्क, प्रमाण, और नैतिकता - के आधार पर आयत 16-20 तार्किक और नैतिक कसौटी पर खरे नहीं उतरते।

आयत 21-25 का न्याय दर्शन के आधार पर विश्लेषण और निष्कर्ष

आयत 21:

विवरण:
इस आयत में असहाब कहफ के प्रकरण का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत में कोई शक नहीं है। साथ ही, लोगों ने गुफा पर एक मस्जिद बनाने का प्रस्ताव रखा।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **"अल्लाह का वादा सच्चा है" कहने के लिए असहाब कहफ की घटना को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना न्याय दर्शन के प्रमाण (Pramana) के सिद्धांत का उल्लंघन है।**
    - **यह घटना अनुभवजन्य या तर्कसंगत प्रमाणों से प्रमाणित नहीं है।**
2. **नैतिकता का प्रश्न:**
    - **गुफा पर मस्जिद बनाने का विचार व्यक्तिगत घटनाओं को धार्मिक प्रतीक में बदलने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह न्याय दर्शन के सार्वभौमिकता के सिद्धांत के विपरीत है।**

निष्कर्ष:
यह आयत अल्लाह के वादे और कयामत को प्रमाणित करने के लिए तार्किक आधार प्रस्तुत करने में असफल है।

आयत 22:

विवरण:
इस आयत में असहाब कहफ की संख्या को लेकर अलग-अलग धारणाओं का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि उनकी संख्या का ज्ञान केवल अल्लाह को है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **संख्या का निर्धारण न करना और इसे "अल्लाह ही जानता है" पर छोड़ देना तार्किक तर्क को कमजोर करता है।**
    - **यदि यह घटना महत्वपूर्ण है, तो इसकी सटीकता क्यों प्रस्तुत नहीं की गई?**

2. **हेत्वाभास (Fallacy):**
   - **गिनती के मुद्दे पर विवाद को बढ़ावा देना और फिर इसे "अल्लाह के ज्ञान" पर छोड़ देना एक तर्कहीन चक्र** (Circular Reasoning) **है।**

निष्कर्ष:
यह आयत तर्क की दृष्टि से कमजोर है क्योंकि यह विवादास्पद मुद्दे को स्पष्ट रूप से हल करने में असफल है।

आयत 23-24:

विवरण:
इन आयतों में यह सिखाया गया है कि किसी काम को करने की बात करते समय "इंशा अल्लाह" कहना चाहिए और इसे भूलने पर अल्लाह को याद करना चाहिए।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
   - **"इंशा अल्लाह" कहने का सुझाव किसी काम की गारंटी या सफलता के लिए कोई तर्कसंगत या व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत नहीं करता।**
   - **यह व्यक्ति की योजना और प्रयास की बजाय भाग्य पर निर्भरता को बढ़ावा देता है।**
2. **प्रमाण (Pramana):**
   - **न्याय दर्शन में कार्यों की सफलता प्रयास और योजना पर आधारित होती है, न कि किसी दैवीय हस्तक्षेप पर।**

निष्कर्ष:
यह आयत व्यावहारिकता और तर्कसंगतता के सिद्धांतों के विरुद्ध है क्योंकि यह कर्म के स्थान पर भाग्य पर जोर देती है।

आयत 25:

विवरण:
इस आयत में असहाब कहफ के गुफा में 300 वर्षों तक रहने का उल्लेख किया गया है, जिसमें नौ साल अतिरिक्त बताए गए हैं।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **300 वर्षों तक गुफा में जीवित रहने की बात प्राकृतिक और वैज्ञानिक नियमों के विरुद्ध है।**
    - **यह घटना किसी भी तर्कसंगत या अनुभवजन्य प्रमाण से समर्थित नहीं है।**
2. **हेत्वाभास (Fallacy):**
    - **इस कथन में असंभवता (Impossibility) का तत्व स्पष्ट है।**
    - **लंबे समय तक जीवित रहने का ऐसा दावा बिना किसी तार्किक या वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के प्रस्तुत किया गया है।**

निष्कर्ष:
यह आयत प्राकृतिक नियमों और तर्कसंगतता के विपरीत एक असंभव घटना का वर्णन करती है।

सामान्य निष्कर्ष (Ayat 21-25):

न्याय दर्शन के अनुसार, इन आयतों में निम्नलिखित कमजोरियां पाई गईं:

1. **तर्क और प्रमाण का अभाव:**
    - **अल्लाह के वादे और कयामत को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।**
2. **गैर-व्यावहारिकता:**
    - **"इंशा अल्लाह" पर निर्भरता कर्म और प्रयास को महत्व देने के बजाय भाग्य पर निर्भरता को बढ़ावा देती है।**
3. **असंभव घटनाओं का वर्णन:**
    - **300 वर्षों तक जीवित रहने जैसी घटनाएं प्राकृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंभव हैं।**
4. **विवाद और अस्पष्टता:**
    - **असहाब कहफ की संख्या और उनके घटनाक्रम को लेकर विवाद को हल करने में असफलता तर्क की कमी को दर्शाती है।**

न्याय दर्शन के आधार पर:
इन आयतों में तार्किकता, व्यावहारिकता, और नैतिकता का अभाव है। यह आयतें किसी भी ठोस तर्कसंगत दृष्टिकोण या प्रमाण के अभाव में केवल अलौकिकता और विश्वास पर आधारित हैं।

आयत 26-30 का न्याय दर्शन के आधार पर विश्लेषण और निष्कर्ष

आयत 26:

विवरण:
इस आयत में कहा गया है कि अल्लाह ही गुफा में असहाब कहफ के ठहरने की सही अवधि जानता है और उसका ज्ञान आसमान और जमीन के हर गुप्त पहलू तक फैला हुआ है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **प्रमाण (Pramana):**
   - **"सारे आसमान और जमीन का ग़ैब अल्लाह के लिए है" इस दावे को सत्यापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष (प्रत्यक्ष प्रमाण) या तर्कसंगत आधार नहीं दिया गया।**
   - **यह तर्क बिना प्रमाण के केवल विश्वास पर आधारित है।**
2. **हेत्वाभास (Fallacy):**
   - **अल्लाह की सर्वज्ञता को स्पष्ट करने के लिए गुफा की अवधि की बात को उठाना एक अप्रासंगिक तुलना (Irrelevant Comparison) है।**

निष्कर्ष:
यह आयत तर्क और प्रमाण के बजाय केवल विश्वास पर आधारित है, जो न्याय दर्शन के प्रामाणिकता सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

आयत 27:

विवरण:
कहा गया है कि अल्लाह की पुस्तक की बातों को कोई बदल नहीं सकता, और उसके सिवा कोई आश्रय नहीं है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **"किताब की बातों को कोई बदल नहीं सकता" यह कथन स्वाभाविक रूप से असत्य है क्योंकि ऐतिहासिक प्रमाण दिखाते हैं कि धार्मिक ग्रंथ समय के साथ व्याख्या और परिवर्तनों से गुजरते हैं।**
    - **यह दावा तर्कसंगत जांच और ऐतिहासिक प्रमाणों का सामना नहीं कर सकता।**
2. **प्रमाण (Pramana):**
    - **न्याय दर्शन सत्यापित और अनुभवजन्य (Empirical) प्रमाणों पर आधारित होता है। इस आयत का दावा बिना प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है।**

निष्कर्ष:
यह आयत ऐतिहासिक साक्ष्यों और तर्कसंगत जांच के विपरीत है।

आयत 28:

विवरण:
इस आयत में कहा गया है कि ईश्वर की स्मरण करने वाले लोगों के साथ रहो और सांसारिक जीवन के मोह से बचो।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **प्रमेय (Prameya):**
    - **सांसारिक मोह से बचने की सलाह व्यावहारिक जीवन के मूल्यों और जिम्मेदारियों के प्रति असंगत है।**
    - **यह कथन मनुष्य की सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से विमुखता को बढ़ावा देता है।**
2. **व्यावहारिकता का अभाव:**
    - **न्याय दर्शन के अनुसार, सांसारिक जीवन को संतुलित और नैतिक रूप से जीना महत्वपूर्ण है। केवल सांसारिकता को त्यागने की बात करना जीवन के उद्देश्यों के खिलाफ है।**

निष्कर्ष:
यह आयत जीवन के व्यावहारिक पहलुओं और जिम्मेदारियों के प्रति असंगत है।

आयत 29:

विवरण:
इस आयत में कहा गया है कि सत्य अल्लाह की ओर से आया है, और जो इसे माने या न माने, उनके लिए परिणाम तय हैं। अविश्वासियों के लिए दंड स्वरूप नरक का वर्णन किया गया है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **प्रमेय (Prameya):**
   - **"जो चाहे माने और जो चाहे न माने" यह स्वतंत्रता का विचार दिखाता है, लेकिन इसे तुरंत नरक और दंड की धमकी से जोड़ देना तर्कसंगत स्वतंत्रता का खंडन करता है।**
   - **यह भय पर आधारित तर्क है, जो न्याय दर्शन के तर्क और संवाद के सिद्धांत के विपरीत है।**
2. **हेतु (Reason):**
   - **नरक के दंड का विवरण (जैसे, खौलते पानी से दंडित करना) भय फैलाने का प्रतीक है और इसका कोई तार्किक या नैतिक आधार नहीं है।**

निष्कर्ष:
यह आयत तार्किक स्वतंत्रता के सिद्धांत का विरोध करती है और भय पर आधारित मानसिकता को बढ़ावा देती है।

आयत 30:

विवरण:
कहा गया है कि जो लोग ईमान लाए और अच्छे कार्य किए, उनके कार्य व्यर्थ नहीं जाएंगे।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **व्याप्ति (Vyapti):**

    - **"अच्छे कार्य करने वालों का कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा" यह एक सामान्य कथन है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाएगा, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है।**
    - **"अच्छे कार्य" की परिभाषा क्या है, यह भी अस्पष्ट है।**
2. **व्यवहारिकता:**
    - **अच्छे कार्यों को पुरस्कृत करने का विचार नैतिक है, लेकिन इसे किसी दैवीय हस्तक्षेप के बजाय समाज और मानवता के लिए उपयोगी परिणामों से जोड़ना चाहिए।**

निष्कर्ष:
यह आयत नैतिक दृष्टिकोण से सकारात्मक है, लेकिन इसकी व्याख्या और कार्यान्वयन स्पष्ट नहीं है।

सामान्य निष्कर्ष (आयत 26-30):

न्याय दर्शन के आधार पर इन आयतों की मुख्य कमजोरियां हैं:

1. **तर्क और प्रमाण का अभाव:**
    - **दावों को बिना प्रमाण या तर्क के प्रस्तुत किया गया है।**
2. **भय और धमकी का उपयोग:**
    - **नरक के दंड का वर्णन भय पर आधारित मानसिकता को बढ़ावा देता है।**
3. **अव्यवहारिकता:**
    - **सांसारिक मोह से बचने और केवल धार्मिक ध्यान पर जोर देना व्यावहारिक जीवन के उद्देश्यों के विपरीत है।**
4. **अस्पष्टता:**
    - **"अच्छे कार्य" और उनके पुरस्कार के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है।**

न्याय दर्शन के अनुसार:
इन आयतों में तर्कसंगतता, प्रमाणिकता, और नैतिकता की कमी है। ये आयतें भय और विश्वास पर आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देती हैं, जो न्याय दर्शन के तार्किक और व्यावहारिक दृष्टिकोण के विपरीत है।

आयत 31-35 का न्याय दर्शन के आधार पर विश्लेषण और निष्कर्ष

आयत 31:

विवरण:
 इस आयत में ईमान लाने वालों और अच्छे कर्म करने वालों के लिए स्वर्ग (जन्नत) में पुरस्कृत जीवन का विवरण दिया गया है, जिसमें कुंदन के कंगन, रेशमी वस्त्र, और तख़्त पर बैठने की विशेषताएं शामिल हैं।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **अच्छे कर्मों के बदले ऐसी भौतिक विलासिताओं का वादा करना नैतिकता की सार्वभौमिक समझ से मेल नहीं खाता। यह सांसारिक सुखों पर केंद्रित है, जो तात्त्विक और आध्यात्मिक लक्ष्यों से भटकाव पैदा करता है।**
2. **प्रमाण (Pramana):**
    - **स्वर्ग के इस विवरण को सत्यापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।**
3. **तर्कहीनता:**
    - **अच्छे कर्मों का उद्देश्य भौतिक पुरस्कार नहीं होना चाहिए। यह मानव जीवन की आध्यात्मिक प्रगति के सिद्धांत के विपरीत है।**

निष्कर्ष:
 यह आयत नैतिकता और आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों के साथ असंगत है और भौतिक सुखों पर अनुचित जोर देती है।

आयत 32-33 का न्याय दर्शन के आधार पर विश्लेषण

आयत 32:

विवरण:
 इस आयत में दो व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक को अल्लाह ने अंगूर के दो बाग़, खजूर के पेड़, और खेत प्रदान किए हैं। यह उसकी संपन्नता और भौतिक सुख-सुविधाओं का वर्णन करता है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **प्रमेय (Prameya - Object of Knowledge):**
    - **आयत का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि एक व्यक्ति को उसके भौतिक संसाधनों के माध्यम से सम्मानित किया गया है।**
2. **हेतु (Reason):**
    - **यहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस व्यक्ति को इतनी संपत्ति और संसाधन क्यों मिले। यह केवल "अल्लाह की कृपा" का परिणाम बताया गया है।**
3. **तार्किकता (Rationality):**
    - **बिना किसी नैतिक या तात्त्विक कारण के केवल "ईश्वर की इच्छा" के आधार पर किसी को संपन्न बनाना न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।**

आयत 33:

विवरण:
इस आयत में बताया गया कि वह दोनों बाग़ खूब फल देते थे, उनमें कोई कमी नहीं होती थी और उनके बीच नहरें भी जारी थीं।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **उदाहरण (Example):**
    - **यह उदाहरण प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता को दर्शाता है, लेकिन इसे अल्लाह की इच्छा का परिणाम माना गया है।**
2. **व्याप्ति (Vyapti - Invariable Concomitance):**
    - **इस आयत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि फल-फूल की अधिकता और नहरों की उपलब्धता केवल ईश्वर की कृपा से है। लेकिन यह व्याप्ति तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रियाओं (जैसे सिंचाई, भूमि की उर्वरता, और श्रम) को अनदेखा किया गया है।**
3. **प्रमाण (Pramana):**
    - **प्राकृतिक उन्नति और संपत्ति का कारण केवल "अल्लाह" को मानना प्रत्यक्षा (प्रत्यक्ष अनुभव) और अनुमान (तर्क) के विपरीत है।**

न्याय दर्शन के आधार पर आलोचना:

1. **कर्म का सिद्धांत (Law of Karma):**
    - **न्याय दर्शन में भौतिक संपन्नता को कर्म के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। लेकिन इन आयतों में ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि इस व्यक्ति ने अपने कर्मों से इन संसाधनों को प्राप्त किया। इसे केवल "अल्लाह की कृपा" का परिणाम माना गया है, जो तात्त्विक दृष्टिकोण से अधूरा है।**
2. **तार्किक आधार का अभाव:**
    - **आयत में संसाधनों की उपलब्धता का तात्कालिक या वैज्ञानिक आधार नहीं दिया गया। इसे केवल एक चमत्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया है।**
3. **समानता और न्याय:**
    - **न्याय दर्शन के अनुसार, यदि कोई ईश्वर है, तो वह सभी को समान अवसर प्रदान करेगा। लेकिन यहाँ केवल एक व्यक्ति को अत्यधिक संपत्ति और संसाधन दिए जाने का वर्णन है, जिससे ईश्वर के न्याय पर सवाल उठता है।**

संरचित तर्क (Nyaya Darshan Structure):

1. **प्रत्यज्ञा (Proposition):**
    - **"एक व्यक्ति को अल्लाह ने अंगूर के बाग़, खजूर के पेड़, और नहरें दीं।"**
2. **हेतु (Reason):**
    - **"यह सब अल्लाह की कृपा का परिणाम है।"**
3. **उदाहरण (Example):**
    - **भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए श्रम, संसाधन प्रबंधन, और प्राकृतिक प्रक्रियाओं की भूमिका अनदेखी की गई।**
4. **उपनय (Application):**
    - **बिना कर्म और प्रयास का उल्लेख किए केवल ईश्वर को इसका श्रेय देना न्याय और तर्क के सिद्धांतों का उल्लंघन है।**

5. **निगमन (Conclusion):**
    - **इस आयत में प्रस्तुत विचार न्याय दर्शन के तात्त्विक दृष्टिकोण और कर्म के सिद्धांत के विपरीत है। भौतिक संपन्नता को कर्म, परिश्रम, और प्राकृतिक नियमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।**

निष्कर्ष:

आयत 32-33 में भौतिक संसाधनों और प्राकृतिक प्रचुरता को केवल "अल्लाह की इच्छा" से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यह तर्क न्याय दर्शन के अनुसार अधूरा और तात्त्विक रूप से गलत है। वास्तविकता में, संसाधनों की प्राप्ति और उपयोग में कर्म, परिश्रम, और प्राकृतिक नियमों की भूमिका को मान्यता दी जानी चाहिए।

आयत 32-33:

विवरण:
इन आयतों में दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया गया है, जिसमें एक को अल्लाह ने अंगूर के बाग, खजूर के पेड़, और फसलों के साथ समृद्धि दी है। यह बाग़ नहरों से सिंचित है और किसी प्रकार की कमी नहीं है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **इस उदाहरण में प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को ईश्वर की कृपा के रूप में दिखाया गया है, लेकिन यह सवाल अनुत्तरित रहता है कि क्या यह न्यायसंगत और नैतिक है।**
2. **प्रमेय (Prameya):**
    - **यह दृष्टिकोण, जिसमें समृद्धि को ईश्वर की कृपा से जोड़ा गया है, व्यक्तिगत प्रयास और सामाजिक न्याय की अवधारणा को कमजोर करता है।**
3. **तर्कहीनता:**
    - **सामाजिक समानता की दृष्टि से, यह दलील अनुचित है क्योंकि केवल कुछ व्यक्तियों को इतनी अधिक समृद्धि देना बाकी समाज के साथ असमानता को बढ़ाता है।**

निष्कर्ष:
यह आयत सामाजिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण के सिद्धांत के विपरीत है।

आयत 34-35:

विवरण:
इन आयतों में समृद्ध व्यक्ति अपने साथी से बातें करता है और घमंड में कहता है कि वह माल और जत्थे में अधिक है। उसने यह भी दावा किया कि उसका बाग कभी नष्ट नहीं होगा।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **यह व्यक्ति अपनी समृद्धि को स्थायी मानकर प्रकृति के परिवर्तनशील और क्षणभंगुर स्वभाव को नकारता है। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक और तार्किक वास्तविकताओं के खिलाफ है।**
2. **व्याप्ति (Vyapti):**
    - **"बाग कभी नष्ट नहीं होगा" यह तर्क व्याप्ति के नियम का उल्लंघन करता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन परिवर्तनशील और अस्थिर होते हैं।**
3. **प्रमेय (Prameya):**
    - **इस आयत में समृद्धि और घमंड को दिखाया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि नैतिकता और संतुलित दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जाए।**

निष्कर्ष:
यह आयत भौतिक संपत्ति के प्रति घमंड और गलत विश्वास को उजागर करती है, लेकिन समाधान और संतुलन की दिशा में कोई निर्देश नहीं देती।

सामान्य निष्कर्ष (आयत 31-35):

1. **भौतिक सुखों पर अनुचित जोर:**

- **स्वर्ग के पुरस्कारों में भौतिक सुखों का वादा करना आध्यात्मिक और नैतिक लक्ष्यों के विपरीत है।**

2. **सामाजिक न्याय की अनुपस्थिति:**
   - **संसाधनों के असमान वितरण को ईश्वर की कृपा मानना सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।**
3. **घमंड और गलत विश्वास:**
   - **समृद्धि को स्थायी मानना और घमंड करना वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टि से अस्वीकार्य है।**
4. **समाधान का अभाव:**
   - **इन आयतों में समस्या को दिखाया गया है, लेकिन संतुलन और समाधान के लिए कोई स्पष्ट दिशा नहीं दी गई।**

न्याय दर्शन के अनुसार:
यह आयतें तार्किक और नैतिक दृष्टि से कमजोर हैं। भौतिक सुखों और असमानता को बढ़ावा देना न्याय दर्शन के तर्कसंगत और नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

आयत 36-40 का न्याय दर्शन के आधार पर विश्लेषण और निष्कर्ष

आयत 36:

विवरण:
इस आयत में वह व्यक्ति जो अपनी समृद्धि पर घमंड कर रहा था, क़यामत (अंतिम दिन) के अस्तित्व को नकारता है और दावा करता है कि अगर क़यामत होती भी है, तो वह और भी बेहतर स्थिति में होगा।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
   - **क़यामत के अस्तित्व को नकारने का कारण तार्किक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। इस नकारात्मकता का आधार केवल व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित है।**
2. **प्रमाण (Pramana):**
   - **इस दावे के लिए कोई अनुभवजन्य या तात्त्विक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।**
3. **व्याप्ति (Vyapti):**
   - **"अच्छी जगह पाऊँगा" का तर्क स्वाभाविक और तर्कसंगत निष्कर्ष की अनदेखी करता है, क्योंकि यह कर्मफल के सिद्धांत (कर्मों का परिणाम) को अस्वीकार करता है।**

निष्कर्ष:
यह आयत व्यक्ति के घमंड और तर्कहीन विश्वास को उजागर करती है। क़यामत का अस्तित्व या इसका नकार स्पष्ट तर्कों पर आधारित नहीं है।

आयत 37:

विवरण:
इस आयत में साथी व्यक्ति तर्क देता है कि इंसान को मिट्टी और नुत्फे (बीज) से बनाया गया है और यह सब ईश्वर की शक्ति का प्रमाण है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **सृष्टि की उत्पत्ति का कारण ईश्वर की शक्ति को बताया गया, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं है।**
2. **प्रमाण (Pramana):**
    - **"मिट्टी से उत्पत्ति" की अवधारणा पारंपरिक विश्वास पर आधारित है, जिसे प्रमाणित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया गया।**
3. **उपनय (Application):**
    - **आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए विकासवाद (Evolution) का तर्क अधिक उपयुक्त और तार्किक है।**

निष्कर्ष:
यह आयत सृष्टि के सिद्धांत को पारंपरिक विश्वास से जोड़ती है, जो वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से कमजोर है।

आयत 38:

विवरण:
साथी व्यक्ति ईश्वर को अपना परवरदिगार मानता है और किसी को उसका शरीक बनाने से इनकार करता है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **"किसी को शरीक नहीं बनाना" यह एक धार्मिक धारणा है, जो बिना तार्किक प्रमाण के पेश की गई है।**
2. **व्याप्ति (Vyapti):**
    - **यह विचार अन्य विश्वास प्रणालियों के प्रति असहिष्णुता को बढ़ावा दे सकता है।**
3. **तर्कहीनता:**
    - **इस तर्क में बहुलवाद (Pluralism) और विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोणों को स्वीकार करने की कमी है।**

निष्कर्ष:
यह आयत धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद के सिद्धांतों के विपरीत है।

आयत 39-40 का न्याय दर्शन के आधार पर विश्लेषण

आयत 39:

विवरण:
यह आयत बताती है कि जब व्यक्ति अपने बाग़ में गया, तो उसे यह कहना चाहिए था कि "यह सब अल्लाह की इच्छा से हुआ है" और यह कि "मुझे किसी चीज़ का अधिकार नहीं है क्योंकि बिना अल्लाह की मदद के कुछ भी संभव नहीं है।"

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **प्रमेय (Prameya - Object of Knowledge):**
    - **आयत का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति और संसाधनों का श्रेय खुद को नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे यह समझना चाहिए कि ये सब अल्लाह की इच्छा से है।**
2. **हेतु (Reason):**
    - **"बिना अल्लाह की मदद के कोई भी काम नहीं हो सकता।" इस कारण यह बताया गया कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति के बारे में घमंड नहीं करना चाहिए।**
3. **उदाहरण (Example):**

    - **जीवन में सफलता या संपत्ति पाने के लिए परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है। यह आयत इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा रही है।**
4. **व्याप्ति (Vyapti - Invariable Concomitance):**
    - **यह कथन कि "बिना अल्लाह की इच्छा के कुछ भी संभव नहीं है," निश्चित रूप से स्वीकार्य है, लेकिन यह तर्क केवल एक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, जो कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से तात्त्विक दृष्टिकोण के साथ मेल नहीं खाता।**

आयत 40:

विवरण:

यह आयत उस व्यक्ति को चेतावनी देती है कि यदि वह घमंड करता है और यह नहीं मानता कि यह सब अल्लाह की इच्छा है, तो जल्द ही अल्लाह उसे वह बाग़ दे देगा जो उससे कहीं बेहतर होगा। इसके अलावा, उसके बाग़ पर कोई आफत नाजिल हो सकती है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **प्रमेय (Prameya - Object of Knowledge):**
    - **यह आयत यह सिद्ध करने का प्रयास करती है कि हर व्यक्ति को अपने भौतिक संसाधनों के बारे में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अंततः नियंत्रण अल्लाह के पास है।**
2. **हेतु (Reason):**
    - **"अगर तुम मुझसे कम समझते हो, तो जल्द ही तुम्हें इससे भी बेहतर मिलेगा" - यहाँ पर व्यक्ति को अपनी स्थिति का संतुलित मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है।**
3. **तार्किक विश्लेषण (Rational Analysis):**
    - **यह दृष्टिकोण उस विचार पर आधारित है कि संपत्ति और संपन्नता को व्यक्तिगत प्रयासों के बजाय परमात्मा की कृपा से जोड़ा जाता है। हालांकि, न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, किसी भी परिणाम का श्रेय केवल परमात्मा को देना और व्यक्तिगत प्रयासों को नकारना तात्त्विक दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के कर्म और प्रयासों का भी इस प्रकार के परिणामों में महत्वपूर्ण योगदान होता है।**
4. **उदाहरण (Example):**

- **यह विचार कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति और सफलता के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए, यह धार्मिक दृष्टिकोण से सही है, लेकिन न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से यह तात्त्विक रूप से अधूरा है, क्योंकि यह केवल एक पक्षीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।**

न्याय दर्शन के आधार पर आलोचना:

1. **कर्म और व्यक्तिगत प्रयास:**
    - **न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी उपलब्धि या संपत्ति का परिणाम केवल ईश्वर की इच्छा नहीं होता। व्यक्ति के कर्म, प्रयास, और श्रम भी परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस आयत में यह केवल अल्लाह की इच्छा को सर्वोत्तम मानते हुए व्यक्तिगत प्रयासों और कर्मों की अनदेखी की गई है।**
2. **तात्त्विक दृष्टिकोण की कमी:**
    - **बिना किसी तात्त्विक आधार के केवल "अल्लाह की इच्छा" का हवाला देना तर्कसंगत दृष्टिकोण नहीं है। जीवन में कर्मों का महत्व होता है और ये ही व्यक्ति को सफलता या संपत्ति दिलाने में सहायक होते हैं।**
3. **घमंड और विनम्रता:**
    - **आयत में यह कहा गया है कि घमंड नहीं करना चाहिए, जो कि न्याय दर्शन के अनुसार सही है। लेकिन इसका आधार केवल "अल्लाह की इच्छा" पर रखना तात्त्विक रूप से कमजोर है। न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि व्यक्ति को अपनी मेहनत और प्रयासों की क़ीमत समझनी चाहिए, न कि केवल बाहरी कारणों पर निर्भर रहना चाहिए।**

संरचित तर्क (Nyaya Darshan Structure):

1. **प्रत्यज्ञा (Proposition):**
    - **"व्यक्ति को अपनी संपत्ति और सफलता के लिए घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब अल्लाह की इच्छा से है।"**
2. **हेतु (Reason):**

    - **"बिना अल्लाह की मदद के कुछ भी संभव नहीं है।"**
3. **उदाहरण (Example):**
    - **भौतिक सफलता को केवल ईश्वर की इच्छा से जोड़ने का विचार, जबकि व्यक्तिगत प्रयासों को नजरअंदाज करना।**
4. **उपनय (Application):**
    - **न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी सफलता का श्रेय केवल अल्लाह को नहीं दिया जा सकता। इसके बजाय, कर्म और प्रयासों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।**
5. **निगमन (Conclusion):**
    - **यह आयत तात्त्विक दृष्टिकोण से अधूरी है। न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, भौतिक संपत्ति और सफलता के लिए कर्म, प्रयास, और आत्मनिर्भरता का भी महत्वपूर्ण योगदान है।**

निष्कर्ष:

आयत 39-40 में भौतिक संपत्ति और सफलता को केवल "अल्लाह की इच्छा" से जोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह न्याय दर्शन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। तात्त्विक दृष्टिकोण के अनुसार, व्यक्तिगत कर्म और प्रयासों को भी इन परिणामों में महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।

आयत 39-40:

विवरण:
यह आयत साथी व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह को व्यक्त करती है कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति और समृद्धि को ईश्वर की कृपा मानकर विनम्र रहना चाहिए। साथ ही, यह चेतावनी दी गई है कि उसका बाग़ अल्लाह के आदेश से नष्ट हो सकता है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **संपत्ति के नाश का कारण प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे ईश्वर की इच्छा से जोड़ा गया है। यह प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने का प्रयास है।**

2. **प्रमेय (Prameya):**
    - **यह दृष्टिकोण कर्मफल के सिद्धांत के साथ असंगत है, जिसमें मनुष्य के कर्मों का परिणाम प्राकृतिक घटनाओं के बजाय उसके व्यक्तिगत कर्मों से जुड़ा होता है।**
3. **तर्कहीनता:**
    - **"संपत्ति का नाश" चेतावनी के रूप में दिया गया है, लेकिन यह आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी के महत्व को कम करता है।**

निष्कर्ष:
यह आयत प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वर की इच्छा से जोड़ती है, जो तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कमजोर है।

सामान्य निष्कर्ष (आयत 36-40):

1. **धारणाओं की तर्कहीनता:**
    - **क़यामत, सृष्टि की उत्पत्ति, और संपत्ति के नाश जैसे मुद्दे तर्क और प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।**
2. **वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टिकोण का अभाव:**
    - **इन आयतों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कर्मफल के नैतिक सिद्धांत की उपेक्षा की गई है।**
3. **घमंड और विनम्रता का संतुलन:**
    - **हालांकि घमंड से बचने और विनम्रता अपनाने की शिक्षा दी गई है, लेकिन इसे धार्मिक विश्वास से जोड़कर तर्कसंगतता को कम कर दिया गया है।**
4. **बहुलवाद की अनुपस्थिति:**
    - **अन्य विश्वास प्रणालियों के प्रति असहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया है।**

न्याय दर्शन के अनुसार:
आयतें तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं। इनमें प्रस्तुत धारणाएं पारंपरिक विश्वासों पर आधारित हैं, जो तात्त्विक और नैतिक रूप से संतुलित नहीं हैं।

आयत 41-45 का न्याय दर्शन के आधार पर विश्लेषण और निष्कर्ष

आयत 41:

विवरण:
इस आयत में व्यक्ति के बाग़ के पानी के सूख जाने और बाग़ के बर्बाद हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है। यह उसे उसकी सीमित शक्ति और असहायता का एहसास दिलाने के लिए कहा गया है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
   - **बाग़ के सूखने का कारण "अल्लाह की इच्छा" बताया गया है। यह तर्क प्राकृतिक घटनाओं को किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ता है।**
2. **प्रमाण (Pramana):**
   - **प्राकृतिक घटनाओं के लिए वैज्ञानिक कारण जैसे जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की उर्वरता, और सिंचाई के अभाव को अनदेखा किया गया है।**
3. **उपनय (Application):**
   - **यह अवधारणा व्यक्ति की आत्मनिर्भरता और विज्ञान आधारित समाधान ढूंढने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है।**

निष्कर्ष:
इस आयत में प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने का तर्क तात्त्विक और वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत है।

आयत 42:

विवरण:
इस आयत में बाग़ के बर्बाद होने के बाद व्यक्ति पछताता है और स्वीकार करता है कि उसने अपने परवरदिगार का किसी को "शरीक" बनाकर गलती की।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
   - **"अल्लाह को शरीक बनाने" और बाग़ की बर्बादी के बीच कोई तार्किक कारण-प्रभाव संबंध नहीं है।**
2. **व्याप्ति (Vyapti):**
   - **यह तर्क स्वाभाविक कारणों (प्राकृतिक आपदा) को धर्म के दृष्टिकोण से जोड़ता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत है।**

3. **उदाहरण (Example):**
    - **यह तर्क व्यक्ति के कर्म (बाग़ की देखभाल में कमी) और परिणाम (बर्बादी) के बीच के संबंध को पूरी तरह अनदेखा करता है।**

निष्कर्ष:
यह आयत प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय कर्मों के बीच के वास्तविक संबंध को नकारती है और इसे धर्म से जोड़ने की कोशिश करती है।

आयत 43-44 का न्याय दर्शन के आधार पर विश्लेषण

आयत 43:

विवरण:
इस आयत में यह बताया गया है कि जब बाग़ के मालिक की मदद करने वाला कोई नहीं था, तो यह साबित हो गया कि केवल अल्लाह ही है जो किसी का सहायक और मददगार हो सकता है। और उसे किसी का कोई सहारा नहीं था।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **प्रमेय (Prameya - Object of Knowledge):**
    - **आयत का उद्देश्य यह दिखाना है कि किसी भी व्यक्ति को अपने संसाधनों या सफलता का श्रेय खुद नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी मदद केवल अल्लाह से ही हो सकती है।**
2. **हेतु (Reason):**
    - **"उसका कोई जत्था भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके," इस कथन का उद्देश्य यह है कि जब कोई अन्य मदद नहीं कर सकता, तो यह सिद्ध होता है कि परमात्मा ही सर्वशक्तिमान और सर्वथा समर्थ है।**
3. **उदाहरण (Example):**
    - **यह उदाहरण किसी व्यक्ति की स्थिति का है, जहां वह अपने प्रयासों और संसाधनों से सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता और तभी उसे यह एहसास होता है कि वास्तव में अल्लाह की कृपा ही सर्वश्रेष्ठ है।**

4. **व्याप्ति (Vyapti - Invariable Concomitance):**
    - **यह विचार कि "अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता," तात्त्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूरी तरह से वास्तविकता को नहीं समझाता। मनुष्य के पास अपने कर्म और प्रयासों की शक्ति भी होती है।**

आयत 44:

विवरण:
इस आयत में यह बताया गया है कि केवल अल्लाह ही सच्चा है और वही सबसे अच्छा सवाब देने वाला है। और अंतिम परिणाम (अंजाम) के मामले में वही सर्वोत्तम है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **प्रमेय (Prameya - Object of Knowledge):**
    - **यह आयत यह सिद्ध करने का प्रयास करती है कि अल्लाह ही एकमात्र सच्चा है और वही सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है, तथा जीवन के अंतिम परिणाम के मामले में केवल वही सर्वोत्तम है।**
2. **हेतु (Reason):**
    - **"सच्चा है वही बेहतर सवाब देने वाला है" - यहाँ पर यह बात मानी जा रही है कि केवल अल्लाह ही सर्वोत्तम सवाब देने वाला है, लेकिन यह तर्क केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है और इसका व्यावहारिक या तात्त्विक आधार कम है।**
3. **तार्किक विश्लेषण (Rational Analysis):**
    - **न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी अच्छे कर्म का परिणाम कर्म करने वाले व्यक्ति की श्रद्धा, मेहनत और निष्ठा से भी जुड़ा होता है। केवल अल्लाह की इच्छा को सर्वश्रेष्ठ मानना, मानव प्रयासों और कड़ी मेहनत की अनदेखी करता है।**
4. **उदाहरण (Example):**
    - **यह विचार कि "अल्लाह ही सबसे अच्छा सवाब देने वाला है" धार्मिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन तात्त्विक दृष्टिकोण से यह अधूरा है, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रयास और कर्म भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।**

न्याय दर्शन के आधार पर आलोचना:

1. **व्यक्तिगत प्रयासों की अनदेखी:**
   - न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, किसी भी सफलता का परिणाम केवल अल्लाह की इच्छा नहीं होता। व्यक्ति के कर्म, उसकी मेहनत और प्रयास भी उस सफलता में योगदान करते हैं। इस आयत में केवल अल्लाह की शक्ति और उसकी कृपा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जबकि मानव प्रयासों को नकारा गया है।
2. **तात्त्विक दृष्टिकोण की कमी:**
   - "अल्लाह ही सच्चा है और वही सवाब देने वाला है," यह धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर सही हो सकता है, लेकिन तात्त्विक दृष्टिकोण से यह विचार अधूरा है। न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि परिणाम कर्म और प्रयासों पर निर्भर करते हैं, और इसे केवल ईश्वर के हवाले करना तात्त्विक दृष्टिकोण से सही नहीं माना जा सकता।
3. **घोषणा और मान्यता का अभाव:**
   - इस आयत में "अल्लाह के अलावा कोई सहायक नहीं हो सकता" इस विचार को सिद्ध किया गया है, जो कि केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण है। न्याय दर्शन के अनुसार, यह विचार केवल एक पक्षीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें कर्म और प्रयासों को अनदेखा किया जाता है।

संरचित तर्क (Nyaya Darshan Structure):

1. **प्रत्यज्ञा (Proposition):**
   - "अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता, और वही सच्चा है, वही सर्वोत्तम सवाब देने वाला है।"
2. **हेतु (Reason):**
   - "उसका कोई जत्था भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके, और केवल अल्लाह की इच्छा ही सच्ची है।"

3. **उदाहरण (Example):**
    - **जब किसी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता होती है, और उसे एहसास होता है कि केवल अल्लाह ही मदद कर सकते हैं, तो यह आयत उसी का उदाहरण प्रस्तुत करती है।**
4. **उपनय (Application):**
    - **न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी सफलता के परिणाम में केवल अल्लाह का योगदान नहीं होता। व्यक्ति के कर्म और प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।**
5. **निगमन (Conclusion):**
    - **आयत की धार्मिक सच्चाई को तात्त्विक दृष्टिकोण से अधूरा माना जा सकता है। केवल ईश्वर के योगदान को महत्वपूर्ण मानना और मनुष्य के कर्मों की अनदेखी करना, न्याय दर्शन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता।**

निष्कर्ष:

आयत 43-44 में यह बताया गया है कि केवल अल्लाह की इच्छा से ही किसी की मदद हो सकती है और वही सच्चा सवाब देने वाला है। हालांकि यह धार्मिक दृष्टिकोण से स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार यह विचार अधूरा है, क्योंकि किसी भी सफलता का परिणाम केवल अल्लाह की इच्छा नहीं होता, बल्कि मानव कर्मों और प्रयासों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है।

आयत 43-44:

विवरण:
यहाँ यह कहा गया है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा सहायक और न्याय करने वाला है, और कोई भी व्यक्ति उसकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **"सरपरस्ती ख़ास अल्लाह की है" यह दावा बिना तर्क और प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है।**
2. **प्रमाण (Pramana):**
    - **इस दावे को सत्यापित करने के लिए कोई तात्त्विक या अनुभवजन्य प्रमाण नहीं दिया गया।**

3. **उपनय (Application):**
    - **यह दृष्टिकोण व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को कम करता है।**

निष्कर्ष:
यह आयत धार्मिक मान्यता को बिना तर्क के प्रस्तुत करती है, जो कि तार्किकता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत है।

आयत 45:

विवरण:
इस आयत में दुनिया की अस्थिरता को समझाने के लिए जीवन की तुलना बारिश के पानी से की गई है, जो थोड़े समय के लिए जीवन देता है और फिर नष्ट हो जाता है।

न्याय दर्शन का दृष्टिकोण:

1. **हेतु (Reason):**
    - **दुनिया की अस्थिरता को प्राकृतिक प्रक्रिया के बजाय धार्मिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की गई है।**
2. **उदाहरण (Example):**
    - **"बारिश का पानी" का उदाहरण प्रभावी है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल धार्मिक संदेश देने के लिए किया गया है, जो कि अधूरा दृष्टिकोण है।**
3. **तार्किकता:**
    - **यह तर्क नैतिकता, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक जीवन के सिद्धांतों को प्रोत्साहित नहीं करता।**

निष्कर्ष:
यह आयत जीवन की अस्थिरता को समझाने के लिए प्राकृतिक उदाहरण का उपयोग करती है, लेकिन इसे केवल धार्मिक रूप से प्रस्तुत करना इसे अधूरा बनाता है।

सामान्य निष्कर्ष (आयत 41-45):

1. **प्राकृतिक घटनाओं और धर्म का मिश्रण:**

- इन आयतों में प्राकृतिक घटनाओं (बाग़ का सूखना, जीवन की अस्थिरता) को धर्म के साथ जोड़ा गया है, जो तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कमजोर है।

2. **आत्मनिर्भरता की उपेक्षा:**
   - आत्मनिर्भरता, कर्म के सिद्धांत, और स्वतंत्रता के महत्व को कम किया गया है।
3. **धार्मिक तर्क की प्रधानता:**
   - आयतें धार्मिक विश्वासों को बिना तार्किक प्रमाण के प्रस्तुत करती हैं, जो न्याय दर्शन के तात्त्विक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य है।
4. **जीवन की अस्थिरता का अधूरा विश्लेषण:**
   - जीवन की अस्थिरता को समझाने के लिए धार्मिक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है; इसे नैतिक और तार्किक दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए।

न्याय दर्शन के अनुसार:
आयतें धार्मिक विश्वास को प्रमुखता देती हैं, लेकिन तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव स्पष्ट है। इन आयतों में प्रस्तुत विचार मनुष्य की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, और सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में बाधा डाल सकते हैं।

आयतों का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयत 46
आयत का अनुवाद:
"(ऐ रसूल) माल और औलाद (इस ज़रा सी) दुनिया की ज़िन्दगी की ज़ीनत हैं और बाक़ी रहने वाली नेकियाँ तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक सवाब में उससे कही ज़्यादा अच्छी हैं और तमन्नाएँ व आरज़ू की राह से (भी) बेहतर हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  दुनिया की संक्षिप्त सामग्री और औलाद की तुलना में नेकियाँ और आस्था बेहतर हैं।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत ईश्वर की दृष्टि में नेक कार्यों की अधिक मूल्यवत्ता को दर्शाती है। हालांकि, यह तर्क किसी

विज्ञान या प्रमाण के आधार पर नहीं है, और केवल धार्मिक दृष्टिकोण से इस दावे को प्रस्तुत करती है।

- **उदाहरण (Example):**
 धर्म और न्याय दोनों में जीवन का उद्देश्य आत्मिक विकास और सामाजिक कल्याण है, न कि केवल व्यक्तिगत या सांसारिक लाभ।
- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत न्याय दर्शन के प्रमाण सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह दावे बिना तर्क और प्रमाण के हैं। हालांकि, आस्थावादी दृष्टिकोण से यह सत्य हो सकता है, लेकिन इसका तार्किक आधार नहीं है।

आयत 47
आयत का अनुवाद:
"और (उस दिन से डरो) जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएँगें और तुम ज़मीन को खुला मैदान (पहाड़ों से) खाली देखोगे और हम इन सभी को इकट्ठा करेगे तो उनमें से एक को न छोड़ेगें।"

चुना गया न्याय तत्व:
अनुमान (Anumana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 एक दिन पहाड़ों को चलाया जाएगा और भूमि पर कोई पहाड़ नहीं रहेगा।
- **हेतु (Reason):**
 यह आयत एक भविष्यवाणी करती है, लेकिन इसके लिए कोई तार्किक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है। इसे केवल विश्वास या धार्मिक विचार के रूप में देखा जा सकता है।
- **उदाहरण (Example):**
 वास्तविकता में, यह संभावना विज्ञान से भी नकारा जाती है, क्योंकि भौतिक विज्ञान में पहाड़ों का स्थान निश्चित होता है और उनका परिवर्तित होना संभावनाओं से बाहर है।
- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत अनुमान और तर्क के अभाव में एक भविष्यवाणी प्रस्तुत करती है, जो न्याय दर्शन के अनुमान के सिद्धांत से मेल नहीं खाती।

आयत 48

आयत का अनुवाद:

"सबके सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने कतार पे क़तार पेश किए जाएँगें और (उस वक़्त हम याद दिलाएँगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था (उसी तरह) तुम लोगों को (आख़िर) हमारे पास आना पड़ा मगर तुम तो ये ख़्याल करते थे कि हम तुम्हारे (दोबारा पैदा करने के) लिए कोई वक़्त ही न ठहराएँगें।"

चुना गया न्याय तत्व:

व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  लोग एक दिन भगवान के सामने कतार में खड़े होंगे और उन्हें पुनः जीवन मिलेगा।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत पुनः जीवन और ईश्वर के सामने प्रस्तुति का दावा करती है, जो एक धार्मिक विश्वास है, लेकिन इसका कोई तर्क या प्रमाण नहीं है। यह तर्क केवल विश्वास पर आधारित है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जो कर्मों के आधार पर मानव जीवन के चक्र को समझाता है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत व्याप्ति का सिद्धांत प्रस्तुत करती है, लेकिन यह तर्क या अनुभव के बिना पुनर्जन्म और न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत करती है, जो न्याय दर्शन के सिद्धांत से मेल नहीं खाता।

आयत 49

आयत का अनुवाद:

"और लोगों के आमाल की किताब (सामने) रखी जाएँगी तो तुम गुनेहगारों को देखोगे कि जो कुछ उसमें (लिखा) है (देख देख कर) सहमे हुए हैं और कहते जाते हैं हाए हमारी क़यामत ये कैसी किताब है कि न छोटे ही गुनाह को बे क़लमबन्द किए छोड़ती है न बड़े गुनाह को और जो कुछ इन लोगों ने (दुनिया में) किया था वह सब (लिखा हुआ) मौजूद पाएँगें और तेरा परवरदिगार किसी पर (ज़र्रा बराबर) ज़ुल्म न करेगा।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  लोग अपनी सभी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होंगे और उनके सारे कार्यों का लेखा-जोखा होगा।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत न्याय का दावा करती है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यदि सभी क्रियाओं का लेखा-जोखा होता है, तो यह एक ऐसी प्रणाली होगी जिसे किसी तरह से प्रमाणित किया जा सके।
- **उदाहरण (Example):**
  न्याय दर्शन में कर्मों का लेखा-जोखा होता है, लेकिन यह लेखा-जोखा एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से देखा जाता है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह दावा बिना प्रमाण के किया गया है।

आयत 50
आयत का अनुवाद:
"और (वह वक़्त याद करो) जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इबलीस के सिवा सबने सजदा किया (ये इबलीस) जिन्नात से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से निकल भागा तो (लोगों) क्या मुझे छोड़कर उसको और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो हालाँकि वह तुम्हारा (क़दीमी) दुश्मन हैं ज़ालिमों (ने ख़ुदा के बदले शैतान को अपना दोस्त बनाया ये उन) का क्या बुरा ऐवज़ है।"

चुना गया न्याय तत्व:
उदाहरण (Upamana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इबलीस को त्यागकर अन्यायी शैतान को अपना मित्र न बनाओ।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत इबलीस के प्रति नफरत को दर्शाती है, लेकिन इसका तर्क केवल धार्मिक विचार पर आधारित है। न्याय दर्शन में कोई भी दावे को प्रमाण और तर्क से सिद्ध किया जाता है, जो यहाँ अनुपस्थित है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में शैतान की अवधारणा नहीं है। इसके बजाय, हमें अपने आंतरिक शत्रु जैसे कंस, रावण या दुष्ट प्रवृत्तियों से निपटने का मार्ग दिखाया जाता है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत उदाहरण (Upamana) के सिद्धांत को प्रस्तुत करती है, लेकिन यह तर्क से कमजोर और एक धार्मिक विश्वास से अधिक है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
46	**प्रमाण**	**नेकियाँ और आस्था की तुलना सांसारिक सम्पत्ति से तर्कहीन रूप से की गई।**
47	**अनुमान**	**पहाड़ों के चलने की भविष्यवाणी बिना प्रमाण के की गई।**
48	**व्याप्ति**	**पुनर्जन्म और ईश्वर के सामने कतार में खड़ा होना तर्कहीन रूप से प्रस्तुत किया गया।**
49	**प्रमेय**	**कर्मों का लेखा-जोखा बिना प्रमाण के प्रस्तुत किया गया।**
50	**उदाहरण**	**शैतान के प्रति नफरत को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से दिखाया गया।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कुछ धार्मिक विचारों और विश्वासों का प्रस्तुतिकरण है, जो न्याय दर्शन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। प्रमेय, प्रमाण, और अनुमान के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, ये विचार तात्त्विक दृष्टि से अप्रमाणित और तर्कसंगत दृष्टिकोण से कमजोर प्रतीत होते हैं।

आयतों का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयत 51

आयत का अनुवाद:

"मैने न तो आसमान व ज़मीन के पैदा करने के वक़्त उनको (मदद के लिए) बुलाया था और न खुद उनके पैदा करने के वक़्त और मै (ऐसा गया गुज़रा) न था कि मै गुमराह करने वालों को मददगार बनाता।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- प्रतिज्ञा (Proposition):
  ईश्वर ने आसमान और ज़मीन के निर्माण के समय गुमराह करने वालों को मददगार नहीं बनाया।
- हेतु (Reason):
  यह आयत ईश्वर के कार्यों को स्पष्ट करती है, लेकिन इसका आधार केवल धार्मिक विश्वास है और कोई वैज्ञानिक या प्रमाणिक दृष्टिकोण नहीं है।
- उदाहरण (Example):
  भारतीय दर्शन में भी जीवन के प्रारंभ और ब्रह्माण्ड के निर्माण के बारे में विभिन्न मत हैं, जैसे वेदों में ब्रह्मा के सृजन के सिद्धांत की चर्चा है।
- निगमन (Conclusion):
  यह आयत प्रमाण सिद्धांत के आधार पर कमजोर है, क्योंकि यह दावा बिना किसी तर्क और प्रमाण के किया गया है, जो कि न्याय दर्शन में स्वीकार्य नहीं है।

आयत 52

आयत का अनुवाद:

"और (उस दिन से डरो) जिस दिन ख़ुदा फरमाएगा कि अब तुम जिन लोगों को मेरा शरीक़ ख्याल करते थे उनको (मदद के लिए) पुकारो तो वह लोग उनको पुकारेगें मगर वह लोग उनकी कुछ न सुनेगें और हम उन दोनों के बीच में महलक {खतरनाक} आड़ बना देंगे।"

चुना गया न्याय तत्व:

व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  ईश्वर का शरीक़ मानने वाले लोग अंततः अपने किसी भी सहायक से मदद नहीं पा सकेंगे।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत धार्मिक विश्वास पर आधारित है और इसे केवल एक विश्वास के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि इसका कोई स्पष्ट तर्क या प्रमाण नहीं है।
- **उदाहरण (Example):**
  न्याय दर्शन में किसी भी दावे को अनुभव और प्रमाण से सिद्ध किया जाता है, जबकि यह आयत एक संभाव्यता पर आधारित है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत व्याप्ति सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि इसके लिए कोई तर्क या अनुभव नहीं दिया गया है।

आयत 53

आयत का अनुवाद:

"और गुनेहगार लोग (देखकर समझ जाएँगें कि ये इसमें सोके जाएँगे और उससे गरीज़ {बचने की} की राह न पाएँगें।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  गुनाहगार लोग सज़ा से बचने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत ईश्वर द्वारा गुनाहगारों को सज़ा देने के सिद्धांत को प्रस्तुत करती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है।
- **उदाहरण (Example):**
  न्याय दर्शन में अपराध और दंड का सिद्धांत स्पष्ट रूप से कारण और परिणाम के संबंध में समझाया जाता है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह बिना तर्क और प्रमाण के किसी विचार को प्रस्तुत करती है।

आयत 54
आयत का अनुवाद:
"और हमने तो इस कुरान में लोगों (के समझाने) के वास्ते हर तरह की मिसालें फेर बदल कर बयान कर दी है मगर इन्सान तो तमाम मख़लूक़ात से ज़्यादा झगड़ालू है।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इंसान सभी जीवों से अधिक झगड़ालू है।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत इंसान की स्वभाविक प्रवृत्तियों को धार्मिक दृष्टिकोण से समझाती है, लेकिन यह तर्क या प्रमाण से स्पष्ट नहीं है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में मनुष्य को अपनी इच्छाओं और अहंकार से लड़ने की शिक्षा दी जाती है। सभी जीवों में झगड़ालूपन की प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि यह समाज और परिस्थिति पर निर्भर करता है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत हेटू (कारण) के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह केवल धार्मिक दृष्टिकोण से दावे करती है, जिनके लिए कोई तार्किक प्रमाण नहीं है।

आयत 55
आयत का अनुवाद:
"और जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी तो (फिर) उनको इमान लाने और अपने परवरदिगार से मग़फिरत की दुआ माँगने से (उसके सिवा और कौन) अम्र मायने है कि अगलों की सी रीत रस्म उनको भी पेश आई या हमारा अज़ाब उनके सामने से (मौजूद) हो।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  हिदायत प्राप्त करने के बावजूद लोग सच्चाई को न मानकर अज़ाब का सामना करते हैं।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत मानवीय प्रवृत्तियों को दर्शाती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या तर्क नहीं है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में स्वतंत्र इच्छा और कर्म का सिद्धांत इस प्रकार के विचारों से अलग है, जो व्यक्तिगत निर्णयों पर अधिक ध्यान देता है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह बिना तर्क और प्रमाण के किसी विचार को प्रस्तुत करती है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
51	**प्रमाण**	**आसमान और ज़मीन के निर्माण में गुमराहों को मदद न देने का दावा बिना प्रमाण के किया गया।**
52	**व्याप्ति**	**गुमराहों को मदद न मिलने की अवधारणा व्याप्ति सिद्धांत से मेल नहीं खाती।**
53	**प्रमेय**	**गुनाहगारों को सज़ा न बचने की अवधारणा प्रमेय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती।**
54	**हेतू**	**इंसान के झगड़ालू होने का दावा हेटू के सिद्धांत से मेल नहीं खाता।**
55	**प्रमेय**	**हिदायत न मानने का सिद्धांत प्रमेय से मेल नहीं खाता।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में धार्मिक विश्वास और भविष्यवाणियों को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, इनमें प्रमेय, प्रमाण, और हेटू के तत्वों का उल्लंघन होता है। ये विचार तात्त्विक दृष्टि से अप्रमाणित और तर्कसंगत दृष्टिकोण से कमजोर प्रतीत होते हैं।

आयतों का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयत 56
आयत का अनुवाद:
"और हम तो पैग़म्बरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि (अच्छों को निजात की) खुषख़बरी सुनाए और (बन्दों को अज़ाब से) डराए और जो लोग काफिर हैं झूटी झूटी बातों का सहारा पकड़ के झगड़ा करते है ताकि उसकी बदौलत हक़ को (उसकी जगह से उखाड़ फेकें और उन लोगों ने मेरी आयतों को जिस (अज़ाब से) ये लोग डराए गए हॅसी ठ्ठा {मज़ाक} बना रखा है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  पैग़म्बरों को भेजने का उद्देश्य अच्छे लोगों को खुशखबरी देना और बुरे लोगों को डराना है।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत धार्मिक दावे पर आधारित है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में मनुष्य की स्वतंत्रता और निर्णय की क्षमता को महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि इस आयत में केवल बुराई से डराने का तत्व है, जो एक पक्षीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि इसके लिए कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है। यह केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण है, जिसे न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से परखा नहीं जा सकता।

आयत 57

आयत का अनुवाद:

"और उससे बढ़कर और कौन ज़ालिम होगा जिसको ख़ुदा की आयतें याद दिलाई जाए और वह उनसे रद गिरदानी {मुँह फेर ले} करे और अपने पहले करतूतों को जो उसके हाथों ने किए हैं भूल बैठे (गोया) हमने खुद उनके दिलों पर परदे डाल दिए हैं कि वह (हक़ बात को) न समझ सकें और (गोया) उनके कानों में गिरानी पैदा कर दी है कि (सुन न सकें) और अगर तुम उनको राहे रास्त की तरफ़ बुलाओ भी तो ये हरगिज़ कभी रुबरु होने वाले नहीं हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- प्रतिज्ञा (Proposition):
  वह लोग जिनके दिलों और कानों पर परदे डाल दिए गए हैं, हक़ बात को समझने और सुनने में असमर्थ होते हैं।
- हेतु (Reason):
  यह आयत ईश्वर के एक दावे को प्रस्तुत करती है, जो कोई प्रमाणित या तर्कसंगत आधार नहीं रखता। इसका धार्मिक आधार है, लेकिन इसे प्रमाण से सिद्ध करना न्याय दर्शन में संभव नहीं है।
- उदाहरण (Example):
  न्याय दर्शन के अनुसार किसी व्यक्ति के विचारों पर नियंत्रण या उनके दिलों पर परदे डालने का दावा केवल विश्वास पर आधारित है, न कि किसी तार्किक तर्क या प्रमाण पर।
- निगमन (Conclusion):
  यह आयत प्रमाण के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि इसमें एक संभाव्यता की बात की जा रही है, न कि कोई तर्क या प्रमाण पेश किया गया है।

आयत 58

आयत का अनुवाद:

"और तुम्हारा परवरदिगार तो बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है अगर उनकी करतूतों की सज़ा में धर पकड़ करता तो फौरन (दुनिया ही में) उन पर अज़ाब नाज़िल कर देता मगर उनके लिए तो एक मियाद (मुक़र्रर) है जिससे खुदा के सिवा कहीं पनाह की जगह न पाएगें।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  ईश्वर बख़्शने वाला है, और अगर वह चाहें तो तुरंत सज़ा दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक निश्चित मियाद है।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत ईश्वर की इच्छा और कृपा को दिखाती है, लेकिन इसका आधार केवल धार्मिक विश्वास है। इसके लिए कोई तर्क या प्रमाण नहीं है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में समय और कारण के सिद्धांत को समझाया जाता है, जिसमें कर्मफल के सिद्धांत के तहत परिणाम निश्चित होते हैं।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत व्याप्ति के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह केवल एक विश्वास है, और इसमें किसी तर्क या प्रमाण का अभाव है।

आयत 59
आयत का अनुवाद:
"और ये बस्तियाँ (जिन्हें तुम अपनी आँखों से देखते हो) जब उन लोगों ने सरकशी तो हमने उन्हें हलाक कर मारा और हमने उनकी हलाकत की मियाद मुक़र्रर कर दी थी।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  जब बस्तियाँ सरकशी करती हैं, तो उन्हें नष्ट कर दिया जाता है और उनकी नष्ट होने की मियाद पहले से तय होती है।

- **हेतु (Reason):**
  यह आयत धार्मिक दृष्टिकोण से एक दावे को प्रस्तुत करती है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक या तार्किक आधार नहीं है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में कर्ता और कार्य का सिद्धांत है, लेकिन इसमें कर्म और समय की योजना पर आधारित सिद्धांतों को अधिक महत्व दिया जाता है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत हेतू के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, जिसमें तर्क और प्रमाण का अभाव है।

आयत 60
आयत का अनुवाद:
"(ऐ रसूल) वह वाक़या याद करो जब मूसा ख़िज्र की मुलाक़ात को चले तो अपने जवान वसी यूषा से बोले कि जब तक में दोनों दरियाओं के मिलने की जगह न पहुँच जाऊँ (चलने से) बाज़ न आऊँगा।"

चुना गया न्याय तत्व:
उपमान (Upamana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  मूसा और ख़िज्र की मुलाकात को दर्शाने वाली यह आयत एक ऐतिहासिक घटना को पेश करती है।
- **हेतु (Reason):**
  इस आयत का आधार धार्मिक कथाएँ हैं, लेकिन इसे न्याय दर्शन के माध्यम से तर्कसंगत तरीके से परखा नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसका कोई तर्क नहीं प्रस्तुत किया गया है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में भी महान व्यक्तित्वों की कथाएँ दी जाती हैं, लेकिन इन कथाओं का उद्देश्य किसी बुनियादी तात्त्विक सिद्धांत को प्रकट करना होता है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत उपमान के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि इसमें केवल एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है और इसका कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
56	**प्रमेय**	**धार्मिक विश्वास के आधार पर दावे किए गए, बिना किसी तर्क या प्रमाण के।**
57	**प्रमाण**	**दिलों और कानों पर परदे डालने का दावा बिना प्रमाण के किया गया।**
58	**व्याप्ति**	**ईश्वर के निर्णय को विश्वास पर आधारित तरीके से प्रस्तुत किया गया, तर्क का अभाव।**
59	**हेतू**	**धार्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत, बिना तर्क या प्रमाण के।**
60	**उपमान**	**ऐतिहासिक घटना को प्रस्तुत किया गया, लेकिन तात्त्विक सिद्धांत नहीं है।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में धार्मिक विश्वासों और घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, इनमें प्रमेय, प्रमाण, व्याप्ति और हेतू के तत्वों का उल्लंघन होता है। इन विचारों को तात्त्विक दृष्टि से परखा नहीं जा सकता, क्योंकि इनमें तर्क और प्रमाण का अभाव है।

आयतों का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयत 61
आयत का अनुवाद:

"ख़्वाह (अगर मुलाक़ात न हो तो) बरसों यूँ ही चलता जाऊँगा फिर जब ये दोनों उन दोनों दरियाओं के मिलने की जगह पहुँचे तो अपनी (भुनी हुयी) मछली छोड़ चले तो उसने दरिया में सुरंग बनाकर अपनी राह ली।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  मूसा और खिज्र एक यात्रा पर थे, और वहाँ एक मछली ने दरिया में अपनी राह बनाई।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत एक धार्मिक घटना को प्रस्तुत करती है, जो केवल विश्वास पर आधारित है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में आत्मा, प्रकृति, और ब्रह्म के बीच सामंजस्य को समझाया जाता है, जबकि यह आयत केवल एक धार्मिक घटना को वर्णित करती है, जो किसी तात्त्विक या तर्कसंगत आधार पर आधारित नहीं है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि इसके लिए कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है। यह केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण है।

आयत 62
आयत का अनुवाद:
"फिर जब कुछ और आगे बढ़ गए तो मूसा ने अपने जवान (वसी) से कहा (अजी हमारा नाश्ता तो हमें दे दो हमारे (आज के) इस सफर से तो हमको बड़ी थकन हो गई।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  मूसा ने अपनी यात्रा में थकान का अनुभव किया और अपने साथी से नाश्ता मांगा।

- **हेतु (Reason):**
  यह आयत केवल एक सांसारिक स्थिति को दर्शाती है, जो किसी तात्त्विक दृष्टिकोण से पूरी तरह से विश्लेषित नहीं हो सकती। इसमें केवल एक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति का वर्णन किया गया है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में कर्म और शारीरिक थकावट को समझाने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण से तात्त्विक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, जबकि यह आयत केवल एक व्यक्तिगत स्थिति को प्रस्तुत करती है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत हेतू के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह केवल एक घटनात्मक विवरण है, जिसमें कोई तात्त्विक तर्क नहीं प्रस्तुत किया गया।

आयत 63

आयत का अनुवाद:

"(यूशा ने) कहा क्या आप ने देखा भी कि जब हम लोग (दरिया के किनारे) उस पत्थर के पास ठहरे तो मै (उसी जगह) मछली छोड़ आया और मुझे आप से उसका ज़िक्र करना शैतान ने भुला दिया और मछली ने अजीब तरह से दरिया में अपनी राह ली।"

चुना गया न्याय तत्व:

व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यूशा ने बताया कि शैतान ने मछली के बारे में याद दिलाने से उसे रोक लिया, और मछली ने अजीब तरीके से दरिया में अपना रास्ता लिया।
- **हेतु (Reason):**
  इस आयत में शैतान के हस्तक्षेप को बताया गया है, लेकिन इसका कोई तात्त्विक या प्रमाणिक आधार नहीं है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में आत्मा, कर्म और शैतान के संदर्भ में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, और यहां प्रस्तुत किया गया दावा केवल धार्मिक विश्वासों पर आधारित है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत व्याप्ति के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि इसमें शैतान के प्रभाव को दर्शाया गया है, जो प्रमाणित नहीं किया जा सकता और कोई तर्क नहीं दिया गया है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
61	**प्रमेय**	**धार्मिक विश्वास पर आधारित घटना, बिना तर्क या प्रमाण के।**
62	**हेतू**	**केवल व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन, बिना तात्त्विक या प्रमाणिक आधार के।**
63	**व्याप्ति**	**शैतान के हस्तक्षेप का दावा, कोई प्रमाण या तर्क नहीं प्रस्तुत किया गया।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में धार्मिक घटनाओं और व्यक्तियों के अनुभवों का वर्णन किया गया है, लेकिन इनका कोई तात्त्विक या प्रमाणिक आधार नहीं प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, इन आयतों में प्रमेय, हेतू और व्याप्ति के सिद्धांतों के साथ कोई मेल नहीं खाता, क्योंकि इनमें विश्वास और धार्मिक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है, जो तर्क और प्रमाण से परे हैं।

आयतों का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयत 64
आयत का अनुवाद:
"मूसा ने कहा वही तो वह (जगह) है जिसकी हम जुस्तजू {तलाश} में थे फिर दोनों अपने क़दम के निशानों पर देखते देखते उलटे पाँव फिरे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  मूसा और खिज़्र ने उस स्थान को पाया, जिसकी वे तलाश में थे।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत मूसा और खिज़्र की यात्रा के संदर्भ में है, लेकिन यह केवल एक धार्मिक कथा है, बिना किसी प्रमाणिक या तात्त्विक आधार के।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में स्थानों और घटनाओं का महत्व विचारशील तात्त्विक दृष्टिकोण से व्याख्यायित किया जाता है, न कि केवल एक घटनात्मक घटना के रूप में।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक कहानी है और इसमें कोई तात्त्विक या प्रमाणिक आधार नहीं दिया गया है।

आयत 65
आयत का अनुवाद:
"तो (जहाँ मछली थी) दोनों ने हमारे बन्दों में से एक (ख़ास) बन्दा खिज़्र को पाया जिसको हमने अपनी बारगाह से रहमत (विलायत) का हिस्सा अता किया था।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  मूसा और खिज़्र ने एक विशेष व्यक्ति को पाया, जिसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त थी।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत खिज़्र के विशेष व्यक्ति होने का दावा करती है, जो ईश्वर की कृपा से अज्ञात शक्ति से संपन्न था। हालांकि, यह दावा बिना किसी प्रमाण या तर्क के प्रस्तुत किया गया है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में ईश्वर की कृपा प्राप्त व्यक्तियों के लिए कोई विशेष प्रमाणिक आधार या तात्त्विक सिद्धांत नहीं प्रस्तुत किया गया। इस आयत में खिज़्र के लिए एक अनदेखी कृपा का उल्लेख है, जो केवल धार्मिक विश्वासों पर आधारित है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमाण के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि खिज्र के विशेष व्यक्तित्व का दावा प्रमाणिक या तात्त्विक आधार से रहित है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
64	**प्रमेय**	**धार्मिक कहानी, बिना तात्त्विक या प्रमाणिक आधार के।**
65	**प्रमाण**	**खिज्र के विशेष व्यक्तित्व का दावा, बिना प्रमाण या तात्त्विक आधार के।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में धार्मिक घटनाओं और व्यक्तियों के संदर्भ में दावा किया गया है, लेकिन ये तात्त्विक दृष्टिकोण या प्रमाण से रहित हैं। न्याय दर्शन के अनुसार, इन आयतों में प्रमेय और प्रमाण के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि इनमें केवल धार्मिक विश्वास और घटनाओं का विवरण है, जिनका कोई साक्ष्य या तर्क नहीं दिया गया है।

आयतों का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयत 66
आयत का अनुवाद:
"और हमने उसे इल्म लदुन्नी (अपने ख़ास इल्म) में से कुछ सिखाया था। मूसा ने उन (ख़िज्र) से कहा क्या (आपकी इजाज़त है कि) मै इस ग़रज़ से आपके साथ साथ रहूँ कि जो रहनुमाई का इल्म आपको है (ख़ुदा की तरफ से) सिखाया गया है उसमें से कुछ मुझे भी सिखा दीजिए।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  मूसा खिज्र से विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनसे साथ रहना चाहता है।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत खिज्र के "इल्म लदुन्नी" (ईश्वर से विशेष ज्ञान) की अवधारणा पेश करती है, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक या तात्त्विक आधार नहीं है। इस विशेष ज्ञान को बिना किसी सत्यापन या तर्क के प्रस्तुत किया गया है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में ज्ञान के कई प्रकार होते हैं, जैसे "ब्रह्मज्ञान" या "तत्वज्ञान", लेकिन इन्हें हमेशा प्रमाणों, तर्कों और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर समझाया जाता है। इस आयत में केवल एक दैवी ज्ञान का दावा है, जिसे अनुभव या तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि यह विशेष ज्ञान के अस्तित्व का दावा करती है, जिसका कोई प्रमाण या तात्त्विक आधार नहीं दिया गया है।

आयत 67

आयत का अनुवाद:

"खिज्र ने कहा (मै सिखा दूँगा मगर) आपसे मेरे साथ सब्र न हो सकेगा।"

चुना गया न्याय तत्व:

हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  खिज्र ने मूसा को चेतावनी दी कि वह उनके साथ सब्र नहीं कर सकेंगे।
- **हेतु (Reason):**
  खिज्र का यह तर्क मूसा की सब्र की कमी के आधार पर है, लेकिन यह तर्क व्यक्तिगत क्षमता पर आधारित है और इसका कोई सार्वभौमिक या तात्त्विक आधार नहीं है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में भी यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति की क्षमताएँ समय और प्रयास के साथ विकसित होती हैं, और बिना प्रमाण या अनुभव के किसी की "सब्र की क्षमता" पर टिप्पणी करना तर्कसंगत नहीं होता।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत तर्क और प्रमाण के अभाव में व्यक्तिगत क्षमता को आधार मानती है, जो न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

आयत 68

आयत का अनुवाद:

"और (सच तो ये है) जो चीज़ आपके इल्मी अहाते से बाहर हो, उस पर आप सब्र क्यों कर कर सकते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  जो ज्ञान किसी के अहाते से बाहर हो, उस पर सब्र करना असंभव है।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत ज्ञान के एक सीमित दायरे के भीतर रहकर सब्र को सही ठहराती है, लेकिन यह बिना तात्त्विक आधार के दावा करती है कि किसी अनजान ज्ञान के प्रति सब्र असंभव है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में भी यह माना जाता है कि किसी वस्तु या ज्ञान के प्रति समझ और सब्र विकसित किया जा सकता है, भले ही वह पहले अपरिचित हो। इसलिए यह दावा केवल सीमित दृष्टिकोण से सही लगता है, जो न्याय दर्शन के अनुसार अप्रमाणित है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह ज्ञान की सीमा और सब्र की समस्या को बिना तात्त्विक आधार के प्रस्तुत करती है।

आयत 69

आयत का अनुवाद:

"मूसा ने कहा (आप इत्मिनान रखिए) अगर ख़ुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर आदमी पाएँगें और मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी न करूँगा।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  मूसा ने खिज्र से वादा किया कि वह उनके साथ सब्र करेंगे और उनकी नाफरमानी नहीं करेंगे।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत मूसा की इच्छा और वचन पर आधारित है, लेकिन बिना किसी प्रमाण या तात्त्विक पुष्टि के मूसा के सब्र और नाफरमानी की क्षमता को दर्शाती है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की वचनबद्धता और सब्र की क्षमता का मूल्यांकन उसके आचरण और संस्कारों से होता है, न कि केवल शब्दों से।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत तात्त्विक दृष्टिकोण से कमजोर है क्योंकि यह केवल एक व्यक्तिगत इच्छा और वचन को प्रस्तुत करती है, बिना किसी प्रमाण के।

आयत 70
आयत का अनुवाद:
"खिज्र ने कहा अच्छा तो अगर आप को मेरे साथ रहना है तो जब तक मैं खुद आपसे किसी बात का ज़िक्र न छेड़ो।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  खिज्र ने मूसा को अपने साथ रहने की शर्त दी कि वह बिना किसी हुक्म के बात न करें।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत खिज्र के विशेष ज्ञान को रखने और मूसा के लिए यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन यह तात्त्विक दृष्टिकोण से अप्रमाणित है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में ज्ञान के प्राप्ति की प्रक्रिया स्पष्ट होती है, जिसमें किसी शिक्षक से सहमति और संवाद आवश्यक होता है, न कि केवल चुप रहने की शर्तों पर आधारित।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह ज्ञान के संबंध में एक शर्त प्रस्तुत करती है, जिसका कोई प्रमाण या तात्त्विक आधार नहीं है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
66	**प्रमाण**	**इल्म लदुन्नी का दावा बिना प्रमाण के है।**
67	**हेतु**	**सब्र की क्षमता पर आधारित दावा, बिना प्रमाण के।**
68	**प्रमेय**	**ज्ञान की सीमा पर बिना तात्त्विक आधार के दावा।**
69	**हेतु**	**वचन और इच्छा पर आधारित दावा, बिना प्रमाण के।**
70	**प्रमेय**	**विशेष ज्ञान की प्राप्ति की शर्त, बिना तात्त्विक आधार के।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में प्रस्तुत ज्ञान और उसके प्राप्ति की प्रक्रिया, और व्यक्तिगत क्षमता के दावों को बिना किसी तात्त्विक या प्रमाणिक आधार के पेश किया गया है। न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, यह आयतें प्रमेय और प्रमाण के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं। ये धार्मिक कथाएँ हैं जिनका कोई सार्वभौमिक तात्त्विक आधार या साक्ष्य नहीं है।

आयतों का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयत 71

आयत का अनुवाद:

"आप मुझसे किसी चीज़ के बारे में न पूछियेगा। ग़रज़ ये दोनों (मिलकर) चल पड़े, यहाँ तक कि (एक दरिया

में) जब दोनों कश्ती में सवार हुए तो खिज्र ने कश्ती में छेद कर दिया। मूसा ने कहा (आप ने तो ग़ज़ब कर दिया), क्या कश्ती में इस ग़रज़ से सुराख़ किया है कि लोगों को डुबा दीजिए, ये तो आप ने बड़ी अजीब बात की है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  खिज्र ने कश्ती में जानबूझकर छेद किया, जिससे मूसा ने आश्चर्य व्यक्त किया।
- **हेतु (Reason):**
  यह क्रिया बिना किसी स्पष्ट तर्क या उद्देश्य के की गई। एक कश्ती में छेद करने का कार्य निश्चित रूप से तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि इससे लोगों को संकट में डालना, और उसकी आवश्यकता का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में "कर्म" और "नैतिकता" पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति निहत्थे लोगों के लिए संकट पैदा करता है, तो यह अमान्य होता है, जब तक कि इसका कोई उच्च उद्देश्य या कारण न हो। इस आयत में खिज्र की क्रिया का उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया है, जो तात्त्विक दृष्टि से संदिग्ध है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत के तहत न्याय संगत नहीं है, क्योंकि बिना तर्क और उद्देश्य के की गई क्रिया को एक उचित उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

आयत 72
आयत का अनुवाद:
"खिज्र ने कहा क्या मैंने आपसे (पहले ही) न कह दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र न कर सकेगें।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  खिज्र ने मूसा से कहा था कि वह उनका साथ नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वे सब्र नहीं कर पाएंगे।
- **हेतु (Reason):**
  खिज्र का यह तर्क मूसा के सब्र की कमी के आधार पर है, लेकिन यह तर्क केवल खिज्र के व्यक्तिगत अनुमान पर आधारित है। इसे प्रमाणिकता की दृष्टि से समझाना मुश्किल है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में व्यक्ति के आचरण और सब्र के बारे में केवल अनुमान या पूर्वाग्रह से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। इसका मूल्यांकन व्यवहार और अनुभव से होता है। इसलिए खिज्र का यह तर्क प्रमाणिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत तात्त्विक दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि यह केवल एक पूर्वानुमान पर आधारित है और इसे सिद्ध या प्रमाणित नहीं किया गया है।

आयत 73
आयत का अनुवाद:
"मूसा ने कहा अच्छा जो हुआ सो हुआ आप मेरी गिरफत न कीजिए और मुझ पर मेरे इस मामले में इतनी सख़्ती न कीजिए।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  मूसा ने खिज्र से अनुरोध किया कि वह उसकी गलती के लिए सख्ती न करें।
- **हेतु (Reason):**
  मूसा का यह अनुरोध व्यक्तिगत भावनाओं और स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में है, जो कि तात्त्विक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, जो बिना किसी प्रमाण या तर्क के दी गई है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी व्यक्ति की दोषी स्थिति को केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया से समझना और

उसे छोड़ देना उचित नहीं है। दोष और गलती के समाधान के लिए तर्क और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत के तहत गलत है, क्योंकि इसमें केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है, न कि किसी तात्त्विक या न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से।

आयत 74

आयत का अनुवाद:

"फिर दोनों के दोनों आगे चले, यहाँ तक कि दोनों एक लड़के से मिले, तो उस बन्दे ख़ुदा ने उसे जान से मार डाला। मूसा ने कहा (ऐ माज़ अल्लाह) क्या आपने एक मासूम शख़्स को मार डाला और वह भी किसी के (ख़ौफ के) बदले में नहीं, आपने तो यक़ीनी एक अजीब हरकत की।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  खिज्र ने एक मासूम लड़के को बिना किसी स्पष्ट कारण के मार डाला, जिसे मूसा ने निंदनीय माना।
- **हेतु (Reason):**
  यह क्रिया बिना किसी स्पष्ट कारण के की गई, और यह एक अमानवीय और तर्कसंगत रूप से गलत कार्य है। किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायपूर्ण कारण के मारना, खासकर बिना किसी अपराध के, प्रमाणिक दृष्टिकोण से गलत है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी भी व्यक्ति की हत्या को तब तक सही नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसका कोई उचित कारण न हो। "अहिंसा" का सिद्धांत भी यह स्पष्ट करता है कि बिना उचित कारण के हिंसा का प्रयोग गलत है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमाण के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह एक अव्याख्यायित और अमान्य क्रिया को प्रस्तुत करती है, जिसका कोई न्यायपूर्ण आधार नहीं है।

आयत 75

आयत का अनुवाद:

"ख़िज्र ने कहा कि मैंने आपसे (मुक़र्रर) न कह दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज़ नहीं सब्र कर सकेगें।"

चुना गया न्याय तत्व:

हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 ख़िज्र ने मूसा से पुनः कहा कि वे उनके साथ नहीं सब्र कर सकते।
- **हेतु (Reason):**
 ख़िज्र का यह तर्क केवल मूसा की क्षमता पर आधारित है और यह बिना किसी तात्त्विक या तर्कसंगत आधार के है। यह एक अनुमान है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है।
- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में किसी व्यक्ति की क्षमताओं को केवल अनुमान के आधार पर नहीं मापा जाता, बल्कि यह अनुभव और व्यक्तिगत परिश्रम पर आधारित होता है। इसलिए यह तर्क उचित नहीं है।
- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत तात्त्विक दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि यह केवल एक अनुमान पर आधारित है, न कि किसी प्रमाण या तात्त्विक विवेचन पर।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
71	प्रमेय	कश्ती में छेद करने की क्रिया बिना प्रमाण या उद्देश्य के है।
72	हेतु	मूसा के सब्र की क्षमता पर आधारित अनुमान, बिना प्रमाण के।
73	प्रमेय	भावनात्मक प्रतिक्रिया, बिना तात्त्विक आधार के।
74	प्रमाण	मासूम व्यक्ति की हत्या का कोई प्रमाणिक आधार नहीं है।
75	हेतु	मूसा के सब्र की क्षमता पर आधारित अनुमान, बिना प्रमाण के।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में खिज़्र द्वारा की गई कार्रवाइयों और मूसा के साथ उनकी बातचीत को बिना स्पष्ट तर्क या प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, इन क्रियाओं और तर्कों को तात्त्विक और प्रमाणिक दृष्टिकोण से सही नहीं ठहराया जा सकता है।

आयतों का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयत 76
आयत का अनुवाद:
"मूसा ने कहा (ख़ैर जो हुआ वह हुआ) अब अगर मैं आप से किसी चीज़ के बारे में पूछगछ करूँगा तो आप मुझे अपने साथ न रखियेगा बेशक आप मेरी तरफ से माज़रत (की हद को) पहुँच गए।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  मूसा ने खिज़्र से कहा कि यदि वह आगे से कुछ पूछेंगे, तो खिज़्र उन्हें अपने साथ न रखें, क्योंकि वह पहले ही उनके साथ सब्र नहीं कर पाए।
- **हेतु (Reason):**
  मूसा की यह प्रतिक्रिया केवल अपनी पिछली असहमति और नाराजगी के आधार पर है, जो एक तरह से तात्त्विक दृष्टिकोण से निराधार है। सब्र की कमी को कारण बनाकर किसी को छोड़ देना न्यायपूर्ण नहीं है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी की क्षमता या प्रयासों को उसकी एक गलती या असफलता के आधार पर परखना उचित नहीं माना जाता। इसके लिए समग्रता में विचार किया जाता है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत तात्त्विक दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि मूसा की प्रतिक्रिया केवल एक भावना और असहमति पर आधारित है, न कि तर्क और प्रमाण पर।

आयत 77

आयत का अनुवाद:

"ग़रज़ (ये सब हो हुआ कर फिर) दोनों आगे चले यहाँ तक कि जब एक गाँव वालों के पास पहुँचे तो वहाँ के लोगों से कुछ खाने को माँगा तो उन लोगों ने दोनों को मेहमान बनाने से इन्कार कर दिया। फिर उन दोनों ने उसी गाँव में एक दीवार को देखा कि गिरा ही चाहती थी तो खिज्र ने उसे सीधा खड़ा कर दिया। उस पर मूसा ने कहा अगर आप चाहते तो (इन लोगों से) इसकी मज़दूरी ले सकते थे।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- प्रतिज्ञा (Proposition):
  खिज्र ने गाँव वालों से मदद न लेने के बावजूद दीवार को ठीक किया। मूसा ने सुझाव दिया कि खिज्र उनसे मज़दूरी ले सकते थे।
- हेतु (Reason):
  खिज्र की यह क्रिया एक अच्छे कार्य के रूप में प्रस्तुत की गई है, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। अगर दीवार गिरने से नुकसान हो रहा था, तो उसे ठीक करने के लिए उचित रास्ता अपनाना चाहिए था, न कि यह एक "बिना किसी अपेक्षा" के काम किया जाए।
- उदाहरण (Example):
  भारतीय दर्शन में किसी कार्य का उद्देश्य और लाभ तात्त्विक दृष्टिकोण से आवश्यक होता है। बिना लाभ के कार्यों को निष्कलंक या उचित नहीं माना जा सकता।
- निगमन (Conclusion):
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत के तहत न्याय संगत नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है और यह कोई तात्त्विक कारण नहीं प्रस्तुत करता।

आयत 78

आयत का अनुवाद:

"खिज्र ने कहा मेरे और आपके दरम्यिान छुट्टम छुट्टा अब जिन बातों पर आप से सब्र न हो सका, मैं अभी आप को उनकी असल हक़ीकत बताए देता हूँ।"

चुना गया न्याय तत्व:

हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  खिज्र ने मूसा से कहा कि वह उन घटनाओं की असल हक़ीकत बताएंगे जिन पर मूसा ने सब्र नहीं किया था।
- **हेतु (Reason):**
  खिज्र का यह निर्णय मूसा की असमर्थता पर आधारित था, लेकिन बिना पूरी जानकारी दिए किसी के बारे में अनुमान लगाना उचित नहीं है। खिज्र का यह कदम मूसा को स्पष्ट करने के बजाय, उन्हें और भ्रमित कर रहा है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी की असमर्थता पर पूर्वनिर्धारित तर्कों के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते। बल्कि, सत्य को समझाने के लिए खुली चर्चा और विचार विमर्श को प्राथमिकता दी जाती है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत तात्त्विक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है क्योंकि इसमें एक अनुमान पर आधारित निर्णय लिया गया है, जो किसी व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उचित तरीका नहीं है।

आयत 79

आयत का अनुवाद:

"वह कश्ती (जिसमें मैंने सुराख़ कर दिया था) तो चन्द ग़रीबों की थी जो दरिया में मेहनत करके गुज़ारा करते थे, मैंने चाहा कि उसे ऐबदार बना दूँ (क्योंकि) उनके पीछे-पीछे एक (ज़ालिम) बादशाह (आता) था कि तमाम कश्तियां ज़बरदस्ती बेगार में पकड़ लेता था।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  खिज्र ने कश्ती को जानबूझकर ऐबदार किया ताकि उस पर बादशाह का कब्जा न हो सके।
- **हेतु (Reason):**
  यह कार्य एक "अच्छे उद्देश्य" के लिए किया गया था, लेकिन इसके लिए अपनाया गया तरीका (कश्ती को नुकसान पहुँचाना) सही नहीं है। यदि बादशाह कश्तियों को जबरदस्ती ले रहा था, तो

इसके लिए और तरीके भी हो सकते थे, जैसे कि कश्ती की सुरक्षा करना या चुपके से बचाव की योजना बनाना।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में "अहिंसा" के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, किसी भी कार्य को सही ठहराने के लिए इसके तरीके और परिणामों की समीक्षा की जाती है। हिंसा या किसी को नुकसान पहुँचाने का तरीका सच्चाई के साथ मेल नहीं खाता।
- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत प्रमाण के सिद्धांत के अनुसार गलत है, क्योंकि किसी उद्देश्य के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा या नुकसान पहुँचाना एक अव्याख्यायित और अमान्य तरीका है।

आयत 80
 आयत का अनुवाद:
"और वह जो लड़का जिसको मैंने मार डाला तो उसके माँ बाप दोनों (सच्चे) इमानदार हैं तो मुझको ये अन्देशा हुआ कि (ऐसा न हो कि बड़ा होकर) उनको भी अपने सरकशी और कुफ्र में फँसा दे।"

चुना गया न्याय तत्व:
 हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 खिज्र ने एक लड़के को इसलिए मारा, क्योंकि वह बड़ा होकर अपने इमानदार माता-पिता को सरकशी और कुफ्र में फंसा सकता था।
- **हेतु (Reason):**
 यह कारण तात्त्विक दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि किसी के भविष्य के बारे में अनुमान लगाकर उसे मार डालना गलत है। यह कार्य बिना किसी प्रमाण या वास्तविक आधार के किया गया है।
- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में "कर्म" के सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति की भविष्यवाणी करके उस पर कोई कड़ा कदम उठाना गलत है। किसी को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसका अपराध स्पष्ट न हो।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत तात्त्विक दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि यह बिना किसी प्रमाण या वास्तविक आधार के किसी को मारे जाने को सही ठहराती है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
76	**हेतु**	**मूसा की प्रतिक्रिया केवल भावना पर आधारित, न कि तर्क पर।**
77	**प्रमेय**	**खिज्र का कार्य उद्देश्यहीन और अस्पष्ट है।**
78	**हेतु**	**अनुमान पर आधारित निर्णय, बिना प्रमाण के।**
79	**प्रमाण**	**हिंसा और नुकसान का तरीका, उचित तर्क से अनुपस्थित।**
80	**हेतु**	**भविष्यवाणी पर आधारित कार्य, जो प्रमाण या आधार से वंचित है।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में खिज्र द्वारा की गई कार्रवाइयों और उनके तर्कों में कई तात्त्विक त्रुटियाँ हैं। इन कार्रवाइयों को केवल उद्देश्य से न्यायसंगत ठहराया गया है, लेकिन तात्त्विक और प्रमाणिक दृष्टिकोण से यह गलत साबित होता है।

आयतों का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयत 81
आयत का अनुवाद:
"तो हमने चाहा कि (हम उसको मार डाले और) उनका परवरदिगार इसके बदले में ऐसा फरज़न्द अता फरमाए जो उससे पाक नफ़सी और पाक कराबत में बेहतर हो।"

चुना गया न्याय तत्वः
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  खिज्र ने लड़के की हत्या का कारण यह बताया कि भविष्य में उस लड़के का माता-पिता को खराब रास्ते पर ले जाने का खतरा था, और उसकी जगह एक बेहतर लड़का दिया गया।
- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क सशक्त नहीं है, क्योंकि एक बच्चे का भविष्य अनिश्चित होता है। किसी के भविष्य को न देखकर उसे मार डालना, यह एक अमान्य और अव्याख्यायित कदम है। यदि माता-पिता इमानदार हैं, तो उनके लिए एक अच्छा संतति निश्चित ही जन्म ले सकता है, यह अनुमान लगाना गलत है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी की भविष्यवाणी के आधार पर उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाना गलत माना जाता है। "कर्मफल" का सिद्धांत कहता है कि कोई व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी दिशा तय करता है, न कि किसी के भविष्य के बारे में अनुमान लगाकर उसे दंडित किया जाए।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत तात्त्विक दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि इसका तर्क एक व्यक्ति के भविष्य के आधार पर उसकी मृत्यु का कारण बनाना अनुचित है।

आयत 82
आयत का अनुवादः
"और वह जो दीवार थी (जिसे मैंने खड़ा कर दिया) तो वह शहर के दो यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उन्हीं दोनों लड़कों का ख़ज़ाना (गड़ा हुआ था) और उन लड़कों का बाप एक नेक आदमी था तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि दोनों लड़के अपनी जवानी को पहुँचे तो तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी से अपना ख़ज़ाने निकाल ले और मैंने (जो कुछ किया) कुछ अपने एख़्तियार से नहीं किया (बल्कि ख़ुदा के हुक्म से) ये हक़ीक़त है उन वाक़यात की जिन पर आपसे सब्र न हो सका।"

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  खिज्र ने दीवार को इसलिए खड़ा किया ताकि यतीम लड़कों का खज़ाना सुरक्षित रहे और वे जवानी में पहुंचकर उसे निकाल सकें।
- **हेतु (Reason):**
  खिज्र ने बताया कि यह काम ईश्वर के आदेश पर किया गया, जिससे यह क्रिया न्यायसंगत साबित हो रही है। लेकिन, यह प्रमाण के आधार पर अस्पष्ट है। खिज्र ने इस कार्य को "ख़ुदा के आदेश से" किया कहा, लेकिन इस क़दम को सही ठहराने के लिए कोई स्पष्ट तर्क नहीं दिया।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी कार्य को "ख़ुदा के आदेश" या "ईश्वर की इच्छा" कहकर केवल उस पर विश्वास करना तर्कसंगत नहीं माना जाता, यदि कार्य में कोई स्पष्ट तात्त्विक या प्रमाणिक आधार नहीं है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत से सही नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि "ईश्वर के आदेश" का कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है, और तात्त्विक आधार पर इसे सही नहीं कहा जा सकता।

आयत 83
आयत का अनुवाद:
"(ऐ रसूल) तुमसे लोग ज़ुलक़रनैन का हाल (इम्तेहान) पूछा करते हैं तुम उनके जवाब में कह दो कि मैं भी तुम्हें उसका कुछ हाल बता देता हूँ।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  लोगों ने ज़ुलक़रनैन के बारे में सवाल किया और रसूल से उसके बारे में जानकारी मांगी।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत प्रमाण के सिद्धांत से मेल खाती है, क्योंकि रसूल ने सत्य की ओर संकेत किया और जानकारी देने का वादा किया। हालांकि, यह आयत स्वयं में तार्किक आलोचना का विषय नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य किसी जानकारी को स्पष्ट करना है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में "प्रमाण" के तहत किसी सत्य की पुष्टि करने के लिए प्रमाण देना आवश्यक होता है, और यहाँ पर रसूल ने इसे प्रमाणित किया।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमाण के सिद्धांत से सही मानी जाती है, क्योंकि इसमें जानकारी का खुलासा किया जा रहा है।

आयत 84

आयत का अनुवाद:

"बेशक हमने उनको ज़मीन पर कुदरतें हुकूमत अता की थी और हमने उसे हर चीज़ के साज़ व सामान दे रखे थे।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि ज़ुलक़रनैन को पृथ्वी पर सत्ता और विभिन्न संसाधनों की पूर्ति दी गई थी।
- **हेतु (Reason):**
  यह प्रमेय के सिद्धांत से मेल खाता है, क्योंकि ज़ुलक़रनैन को दी गई शक्ति और संसाधन का उल्लेख किया गया है। हालांकि, यह तर्क ज़ुलक़रनैन की शक्ति को ठीक से सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह केवल एक बयान है, और यह विशेष रूप से किसी विवेकपूर्ण प्रमाण से समर्थित नहीं है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी के अधिकार और संसाधन को प्रमाणित करने के लिए वास्तविक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। केवल कथन से उसकी प्रमाणिकता साबित नहीं होती।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार ठीक है, लेकिन इसमें केवल बयान दिया गया है, इसके प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं दर्शायी गई है।

आयत 85

आयत का अनुवाद:

"वह एक सामान (सफर के) पीछे पड़ा।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  ज़ुलक़रनैन अपने सफर के सामान के पीछे पड़ा था।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत एक साधारण कथन है, जिसमें कोई तात्त्विक या तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं दिया गया। यह केवल यात्रा की दिशा और घटनाओं का विवरण देती है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में यात्रा या कार्य की कोई घटनात्मक रिपोर्ट अपने आप में कोई तात्त्विक निष्कर्ष नहीं उत्पन्न करती जब तक उसका उद्देश्य और उसका पालन स्पष्ट न हो।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत के तहत अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
81	**हेतु**	**भविष्य के अनुमान पर आधारित निर्णय, जो तात्त्विक दृष्टिकोण से गलत है।**
82	**प्रमाण**	**"ईश्वर के आदेश" का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया।**
83	**प्रमाण**	**सही तरीके से जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश, परंतु सिद्धांत के अनुरूप।**
84	**प्रमेय**	**शक्ति और संसाधनों का उल्लेख, लेकिन प्रमाणित नहीं किया गया।**

85	**प्रमाण**	**केवल घटनात्मक विवरण, बिना तात्त्विक या प्रमाणिक आधार के।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कुछ तर्क और तथ्यों को प्रमाणित करने की कोशिश की गई है, लेकिन इनका आधार बहुत हद तक अनुमान और बिना प्रमाण के है। तात्त्विक दृष्टिकोण से इन आयतों को सही ठहराना मुश्किल है, क्योंकि इनमें भविष्यवाणी, अनिश्चितता, और बिना पर्याप्त प्रमाण के निर्णय लिए गए हैं।

आयतों का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयत 86

आयत का अनुवाद:

"यहाँ तक कि जब (चलते-चलते) आफताब के ग़ुरूब होने की जगह पहुँचा तो आफताब उनको ऐसा दिखाई दिया कि (गोया) वह काली कीचड़ के चश्में में डूब रहा है और उसी चश्में के क़रीब एक क़ौम को भी आबाद पाया हमने कहा ऐ ज़ुलक़रनैन (तुमको एख़्तियार है) ख़्वाह इनके कुफ्र की वजह से इनकी सज़ा करो (कि ईमान लाए) या इनके साथ हुस्ने सुलूक का शेवा एख़्तियार करो (कि ख़ुद इमान कुबूल करें)"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  ज़ुलक़रनैन को यह विकल्प दिया गया था कि वह इन लोगों को उनके कुप्रवृत्तियों के कारण सजा दे सकते हैं या फिर उन पर अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करके उन्हें ईमान की ओर लाने की कोशिश कर सकते हैं।
- **हेतु (Reason):**
  इस आयत में दो विकल्पों का उल्लेख किया गया है–एक सजा देने का और दूसरा अच्छे व्यवहार का। यह प्रमेय के सिद्धांत से मेल खाता है क्योंकि यह एक स्पष्ट विकल्पों की स्थिति को दर्शाता है। हालांकि, यह बहुत सटीक नहीं है क्योंकि इस तर्क में सजा का कारण केवल कुप्रवृत्ति को माना गया है, जो बिना तात्त्विक और प्रमाणिक कारण के है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसके लिए परिणाम तय किए जाते हैं,

लेकिन यह परिणाम हमेशा उसके अपने कर्मों और न्याय पर आधारित होते हैं, न कि केवल किसी के आक्षेप या कुप्रवृत्तियों के आधार पर।
- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत प्रमेय के सिद्धांत से मेल खाती है, लेकिन इसमें व्यक्ति के कर्मों के साथ न्याय करने के सिद्धांत की स्पष्टता नहीं दी गई है। तात्त्विक रूप से इसे अधिक प्रमाणिक और स्पष्ट किया जा सकता था।

आयत 87
 आयत का अनुवाद:
 "ज़ुलक़रनैन ने कहा कि जो शख़्स सरकशी करेगा तो हम उसकी फौरन सज़ा कर देगें (आख़िर) फिर वह (क़यामत में) अपने परवरदिगार के सामने लौटाकर लाया ही जाएगा और वह बुरी से बुरी सज़ा देगा।"

चुना गया न्याय तत्व:
 हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 ज़ुलक़रनैन ने सरकशी करने वाले को सजा देने का निर्णय लिया और यह कहा कि वह व्यक्ति क़यामत में बुरी सजा पाएगा।
- **हेतु (Reason):**
 यहाँ पर तर्क यह दिया गया है कि जो व्यक्ति सरकशी करेगा, उसे तुरंत सजा दी जाएगी और क़यामत में और बुरी सजा दी जाएगी। यह तर्क ज़्यादा सशक्त नहीं है, क्योंकि यह केवल एक भविष्यवाणी पर आधारित है और इसमें किसी स्पष्ट तात्त्विक आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।
- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में "कर्मफल" के सिद्धांत के अनुसार किसी के कर्मों का फल उसी के कर्मों के आधार पर होता है। यह केवल एक तात्त्विक दृष्टिकोण है, जिसमें किसी को सजा देने का निर्णय केवल कर्मों और न्याय पर आधारित होना चाहिए।
- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत हेतु के सिद्धांत से मेल नहीं खाती है, क्योंकि तर्क में बिना किसी उचित प्रमाण और विवेकपूर्ण न्याय के सीधे सजा का निर्णय लिया गया है।

आयत 88

आयत का अनुवाद:

"और जो शख़्स ईमान कुबूल करेगा और अच्छे काम करेगा तो (वैसा ही) उसके लिए अच्छे से अच्छा बदला है और हम बहुत जल्द उसे अपने कामों में से आसान काम (करने) को कहेंगे।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि जो व्यक्ति ईमान लाएगा और अच्छे कर्म करेगा, उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे और उसे आसान कामों की ओर मार्गदर्शन मिलेगा।
- **हेतु (Reason):**
  यह प्रमाण के सिद्धांत से मेल खाता है क्योंकि यह सीधे तौर पर कर्म और उनके परिणामों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। यह तर्क बहुत अधिक व्यावहारिक है और इसमें किसी प्रकार का अनुमान या भविष्यवाणी नहीं है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में "कर्मफल" के सिद्धांत के अनुसार अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, जो कि इस आयत का मूल संदेश है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमाण के सिद्धांत से मेल खाती है, क्योंकि यह एक सत्य और स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। इस दृष्टिकोण से यह तर्कसंगत और उचित है।

आयत 89

आयत का अनुवाद:

"फिर उसने एक दूसरी राह एख़्तियार की।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  ज़ुलक़रनैन ने एक नई दिशा की ओर रुख किया।
- **हेतु (Reason):**
  इस आयत में केवल एक स्थानांतरित मार्ग का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट तात्त्विक या न्यायिक कारण नहीं बताया गया। यह केवल घटनाओं का विवरण है, जिसका विश्लेषण करना कठिन है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी यात्रा या मार्ग का चयन कर्म और उद्देश्य पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर कोई विशिष्ट तात्त्विक उद्देश्य नहीं दिया गया है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत के अनुरूप है, लेकिन इसमें गहरे तात्त्विक या न्यायिक विचारों की कमी है।

आयत 90

आयत का अनुवाद:

"यहाँ तक कि जब चलते-चलते आफताब के तूलूउ होने की जगह पहुँचा तो (आफताब) से ऐसा ही दिखाई दिया (गोया) कुछ लोगों के सर पर उस तरह तुलूउ कर रहा है जिन के लिए हमने आफताब के सामने कोई आड़ नहीं बनाया था।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  ज़ुलक़रनैन ने सूर्य के उगने की स्थिति को देखा और वहाँ के लोगों के लिए कोई आड़ नहीं पाया।
- **हेतु (Reason):**
  यहाँ कोई महत्वपूर्ण तर्क या प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है। यह केवल एक घटनात्मक विवरण है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में घटनाओं का केवल विवरण देने से कोई तात्त्विक या प्रामाणिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का प्रमाण या तात्त्विक विवेचन नहीं किया गया है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
86	**प्रमेय**	**सही विकल्पों का उल्लेख किया गया, लेकिन तात्त्विक आधार की कमी है।**
87	**हेतु**	**सजा का निर्णय बिना प्रमाण के किया गया, तात्त्विक दृष्टिकोण से कमजोर है।**
88	**प्रमाण**	**अच्छे कर्मों के परिणामों का तर्क प्रमाणिक और सही है।**
89	**प्रमेय**	**घटनात्मक विवरण, तात्त्विक विचार की कमी है।**
90	**प्रमेय**	**घटनात्मक विवरण, प्रमाण या तात्त्विक विवेचन का अभाव है।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में ज़ुलक़रनैन के निर्णयों और कार्यों का वर्णन किया गया है, लेकिन तात्त्विक दृष्टिकोण से कई आयतों में स्पष्ट प्रमाण और न्यायिक विवेचना की कमी है। कुछ आयतों में तात्त्विक दृष्टिकोण और न्यायिक सिद्धांत कमजोर हैं, जबकि कुछ आयतें तात्त्विक आधार पर सही प्रतीत होती हैं।

आयत 91 से 95 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयत 91

आयत का अनुवाद:
"और था भी ऐसा ही और जुलकरनैन के पास वो कुछ भी था हमको उससे पूरी वाकफ़ियत थी।"

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञा (Proposition): इस आयत का कहना है कि जुलकरनैन के पास जो कुछ भी था, हमें उसकी पूरी जानकारी थी।**
- **हेतु (Reason): यह कथन बिना किसी विशेष प्रमाण या साक्ष्य के किया गया है। इस पर ऐतिहासिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करें, तो यह दावा किसी तात्त्विक प्रमाण के बिना प्रस्तुत किया गया है।**
- **उदाहरण (Example): न्याय दर्शन में प्रमाण और अनुभव का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि इस कथन के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है, तो इसे प्रमाणिक नहीं माना जा सकता।**
- **निगमन (Conclusion): इस आयत का कथन बिना ठोस प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है, जो न्याय दर्शन के प्रमेय** (object of knowledge) **के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है।**

आयत 92

आयत का अनुवादः
"ग़रज़ उसने फिर एक और राह एख़्तियार की।"

चुना गया न्याय तत्वः
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञा (Proposition): जुलकरनैन ने एक और रास्ता चुना।**
- **हेतु (Reason): इस आयत में जुलकरनैन के निर्णय के पीछे किसी तर्क या कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। यह केवल एक साधारण कथन है, जो बिना किसी विचार या प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है।**
- **उदाहरण (Example): न्याय दर्शन के अनुसार, किसी कार्य को करना केवल इस आधार पर नहीं होता कि "रास्ता चुना गया", बल्कि इसका कोई तात्त्विक कारण होना चाहिए।**
- **निगमन (Conclusion): इस आयत में कारण का अभाव है, जिससे यह तर्क और प्रमेय के दृष्टिकोण से अव्याख्येय है।**

आयत 93

आयत का अनुवाद:
"यहाँ तक कि जब चलते-चलते रोम में एक पहाड़ के (कंगुरों के) दीवारों के बीचो बीच पहुँच गया तो उन दोनों दीवारों के इस तरफ एक क़ौम को (आबाद) पाया तो बात चीत कुछ समझ ही नहीं सकती थी।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): जुलकरनैन ने एक पहाड़ के बीचो बीच दीवारों के पास एक क़ौम पाई।**
- **हेतु (Reason): इस आयत में यह कथन बिना किसी ऐतिहासिक या भौगोलिक प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है। "रोम" और "दीवारों के बीच एक क़ौम" जैसे विवरण केवल कथन के रूप में हैं, जिनका कोई प्रमाण नहीं है।**
- **उदाहरण (Example): भारतीय ऐतिहासिक और भूगोलिक साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता कि कोई क़ौम किसी पहाड़ की दीवारों के बीच स्थित थी, और इसका कोई विश्वसनीय विवरण उपलब्ध नहीं है।**
- **निगमन (Conclusion): यह आयत प्रमेय (वस्तु का ज्ञान) के दृष्टिकोण से अव्यक्त है, क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक या भौगोलिक प्रमाण नहीं है।**

आयत 94

आयत का अनुवाद:
"उन लोगों ने मुतरज्जिम के ज़रिए से अजऱ् की ऐ ज़ुलकरनैन (इसी घाटी के उधर याजूज माजूज की क़ौम है जो) मुल्क में फ़साद फैलाया करते हैं तो अगर आप की इजाज़त हो तो हम लोग इस ग़जऱ् से आपसे पास चन्दा जमा करें कि आप हमारे और उनके दरम्यिान कोई दीवार बना दें।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): याजूज माजूज की क़ौम द्वारा फ़साद फैलाने का खतरा है, और जुलकरनैन से दीवार बनाने के लिए मदद मांगी गई।**

- **हेतु (Reason): इस कथन में यह प्रश्न उठता है कि क्या याजूज माजूज का अस्तित्व ऐतिहासिक या भौगोलिक रूप से प्रमाणित है? "फसाद" और "दीवार" जैसे तत्व बिना किसी तात्त्विक प्रमाण के प्रस्तुत किए गए हैं।**
- **उदाहरण (Example): भारतीय दर्शन में किसी भी भयावह स्थिति को पहचानने के लिए तर्क और प्रमाण का महत्व होता है। यदि ऐसी कोई क़ौम कभी अस्तित्व में थी, तो उसकी कोई ऐतिहासिक गवाही होनी चाहिए।**
- **निगमन (Conclusion): यह आयत व्याप्ति (अनिवार्य संबंध) के सिद्धांत के तहत बिना प्रमाण के और केवल सिद्धांत पर आधारित है, जो न्याय दर्शन के संदर्भ में तर्कहीन है।**

आयत 95

आयत का अनुवाद:
"जुलकरनैन ने कहा कि मेरे परवरदिगार ने ख़र्च की जो कुदरत मुझे दे रखी है वह (तुम्हारे चन्दे से) कहीं बेहतर है (माल की ज़रूरत नहीं) तुम फक़त मुझे क़ूवत से मदद दो तो मैं तुम्हारे और उनके दरम्यिान एक रोक बना दूँ।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): जुलकरनैन ने कहा कि वह चन्दा से अधिक ताकतवर हैं और उन्हें दीवार बनाने के लिए चन्दा की आवश्यकता नहीं है।**
- **हेतु (Reason): यह कथन तर्क और प्रमाण की दृष्टि से खंडित है। यदि कोई दीवार बनानी थी, तो उसे मदद के रूप में संसाधन की आवश्यकता थी, चाहे वह शक्ति हो या धन।**
- **उदाहरण (Example): किसी निर्माण कार्य के लिए केवल शक्ति या चन्दा का बल ही निर्णायक नहीं हो सकता; भौतिक संसाधन और कारीगरी की भी आवश्यकता होती है।**
- **निगमन (Conclusion): यह आयत प्रमेय (साक्ष्य) और प्रमाण के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह बिना व्यावहारिक या भौतिक आधार के दावा करती है।**

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना

91	**प्रमाण**	**बिना प्रमाण के दावा किया गया।**
92	**हेतु**	**कारण का अभाव।**
93	**प्रमेय**	**ऐतिहासिक और भौगोलिक प्रमाण का अभाव।**
94	**व्याप्ति**	**बिना प्रमाण के सिद्धांत प्रस्तुत किया गया।**
95	**प्रमाण**	**भौतिक प्रमाण और तर्क का अभाव।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कई तत्वों को बिना किसी ठोस प्रमाण, ऐतिहासिक साक्ष्य या तर्क के प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, प्रमेय, प्रमाण, और व्यावहारिक तर्क का अभाव इन आयतों को तात्त्विक रूप से अप्रमाणित और तर्कहीन बनाता है।

आयत 96 से 100 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयत 96

आयत का अनुवाद:
"अच्छा तो मुझे (कहीं से) लोहे की सिले ला दो (चुनान्चे वह लोग) लाए और एक बड़ी दीवार बनाई यहाँ तक कि जब दोनो कंगूरो के दरमेयान (दीवार) को बुलन्द करके उनको बराबर कर दिया तो उनको हुक्म दिया कि इसके गिर्द आग लगाकर धौको यहाँ तक उसको (धौंकते-धौंकते) लाल अँगारा बना दिया।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): जुलकरनैन ने लोहे की दीवार बनाई और उसे आग से लाल किया।**
- **हेतु (Reason): इस कथन में वैज्ञानिक और भौतिक दृष्टिकोण से कुछ सवाल उठते हैं। लोहे की दीवार बनाने के लिए अत्यधिक तापमान और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो उस समय संभव नहीं था, जब जुलकरनैन का समय माना जाता है। यह ऐतिहासिक और भौतिक रूप से प्रमाणित नहीं है।**

- **उदाहरण (Example): यदि हम आधुनिक युग में भी लोहे की दीवार बनाने की बात करें, तो हमें अत्यधिक ताप और धातुकर्म की विशेष तकनीकी क्षमता चाहिए, जो उस समय संभव नहीं थी।**
- **निगमन (Conclusion): यह कथन प्रमेय (वस्तु का ज्ञान) के दृष्टिकोण से अव्यक्त है क्योंकि इस समय के लिए यह भौतिक और तकनीकी दृष्टि से असंभव था।**

आयत 97

आयत का अनुवाद:
"तो कहा कि अब हमको ताँबा दो कि इसको पिघलाकर इस दीवार पर उँडेल दें (ग़रज़) वह ऐसी ऊँची मज़बूत दीवार बनी कि न तो याजूज व माजूज उस पर चढ़ ही सकते थे और न उसमें नक़ब लगा सकते थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): जुलकरनैन ने ताँबा पिघलाकर दीवार पर उँडेल दिया और उसे इतना मजबूत बना दिया कि याजूज माजूज उस पर चढ़ नहीं सकते थे।**
- **हेतु (Reason): ताँबे का उपयोग दीवार को मजबूत करने के लिए भौतिक दृष्टिकोण से संदिग्ध है। ताँबा किसी भी दीवार को इतनी मजबूती नहीं दे सकता कि वह किसी सशक्त क़ौम को रोक सके। इस कथन को भौतिक विज्ञान और ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए, तो यह एक अवास्तविक दावा है।**
- **उदाहरण (Example): भौतिकी और धातुकर्म के अनुसार, ताँबा या लोहे से बनाई गई दीवारें स्थायी और अविनाशी नहीं हो सकतीं, क्योंकि वे समय के साथ कमजोर होती हैं और प्राकृतिक घटनाओं से प्रभावित होती हैं।**
- **निगमन (Conclusion): यह कथन प्रमेय और प्रमाण (साक्ष्य) के दृष्टिकोण से अव्यक्त है, क्योंकि भौतिक रूप से यह अवास्तविक है।**

आयत 98

आयत का अनुवाद:
"जुलक़रनैन ने (दीवार को देखकर) कहा ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है मगर जब मेरे परवरदिगार का वायदा (क़यामत) आयेगा तो इसे ढहा कर हमवार कर देगा और मेरे परवरदिगार का वायदा सच्चा है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): जुलकरनैन ने कहा कि यह दीवार उनके परवरदिगार की मेहरबानी है, और क़यामत के दिन यह ढह जाएगी।**
- **हेतु (Reason): यह कथन विश्वास और धार्मिक दृष्टिकोण से संबंधित है, लेकिन तात्त्विक दृष्टिकोण से इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। क़यामत के दिन दीवार का ढहना एक धार्मिक अवधारणा है, जो प्रमाण से परे है।**
- **उदाहरण (Example): धार्मिक या आस्थापूर्वक व्यक्त की गई भविष्यवाणी या विश्वास को न्याय दर्शन में प्रमाणिक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता।**
- **निगमन (Conclusion): यह कथन प्रमाण (साक्ष्य) के दृष्टिकोण से अव्यक्त है, क्योंकि यह धार्मिक विश्वास पर आधारित है, न कि भौतिक या तार्किक प्रमाण पर।**

आयत 99

आयत का अनुवाद:
"और हम उस दिन (उन्हें उनकी हालत पर) छोड़ देंगे कि एक दूसरे में (टकरा के दरिया की) लहरों की तरह गुड़मुड़ हो जाएँ और सूर फूँका जाएगा तो हम सब को इकट्ठा करेंगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): क़यामत के दिन, लोग एक दूसरे में टकराकर दरिया की लहरों की तरह गुड़मुड़ होंगे और सूर फूँका जाएगा।**
- **हेतु (Reason): यह कथन क़यामत से संबंधित है, जो एक धार्मिक अवधारणा है। व्यावहारिक और भौतिक दृष्टिकोण से इसे प्रमाणित या सत्यापित नहीं किया जा सकता।**
- **उदाहरण (Example): यदि हम प्राकृतिक घटनाओं को देखें, तो ऐसी स्थिति का कोई ऐतिहासिक या भौतिक प्रमाण नहीं मिलता।**
- **निगमन (Conclusion): यह कथन व्याप्ति के दृष्टिकोण से अव्यक्त है, क्योंकि यह धार्मिक विश्वास पर आधारित है, न कि भौतिक या वैज्ञानिक प्रमाण पर।**

आयत 100

आयत का अनुवाद:
"और उसी दिन जहन्नुम को उन काफिरों के सामने खुल्लम खुल्ला पेश करेंगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): क़यामत के दिन, काफिरों के सामने जहन्नुम को पेश किया जाएगा।**
- **हेतु (Reason): यह एक धार्मिक भविष्यवाणी है और इसका कोई भौतिक या तार्किक प्रमाण नहीं है। इसे केवल विश्वास के आधार पर माना जा सकता है।**
- **उदाहरण (Example): क़यामत या परलोक के बारे में कोई प्रमाण या भौतिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, जो इस कथन को प्रमाणित कर सकें।**
- **निगमन (Conclusion): यह कथन प्रमाण (साक्ष्य) के दृष्टिकोण से अव्यक्त है, क्योंकि यह धार्मिक विश्वास पर आधारित है, न कि भौतिक या तार्किक प्रमाण पर।**

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
96	प्रमाण	भौतिक दृष्टिकोण से असंभव।
97	प्रमाण	ताँबे और लोहे से दीवार को अविनाशी बनाना असंभव।
98	प्रमाण	धार्मिक विश्वास पर आधारित, भौतिक प्रमाण का अभाव।
99	व्याप्ति	भौतिक प्रमाण का अभाव, धार्मिक भविष्यवाणी।
100	प्रमाण	क़यामत और जहन्नुम के बारे में भौतिक प्रमाण का अभाव।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में दीवार निर्माण, क़यामत, और अन्य धार्मिक विचारों को प्रमाण और भौतिक वास्तविकता के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जो न्याय दर्शन के प्रमेय, प्रमाण, और व्याप्ति के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। ये कथन धार्मिक विश्वास और भविष्यवाणियों पर आधारित हैं, जिनका वैज्ञानिक या भौतिक प्रमाण नहीं है।

Here is the updated response with titles added for each ayat:

आयत 101: रसूल की बातों को न सुनने का कथन

आयत का अनुवाद:
"और उसी (रसूल की दुश्मनी की सच्ची बात) कुछ भी सुन ही न सकते थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत यह कहती है कि कुछ लोग रसूल की बात को सुन नहीं सकते।

हेतु (Reason):
यह कथन बिना किसी प्रमाण या तर्क के प्रस्तुत किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को हिदायत दी जाती है, तो वह अपनी तर्कसंगत क्षमता के कारण उसे समझ सकता है। इस आयत में यह कहा गया है कि कुछ लोग सुनने में सक्षम नहीं हैं, जो तर्कसंगत दृष्टिकोण से अनियमित प्रतीत होता है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में भी, जैसे कि वेदांत और योग में, यह माना जाता है कि मनुष्य की समझ के अनुसार उसे ज्ञान मिल सकता है, और किसी के पास यह क्षमता होनी चाहिए।

निगमन (Conclusion):
यह आयत प्रमेय तत्व के अनुसार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह मानव क्षमता को कम करती है बिना इसे तर्कसंगत रूप से सिद्ध किए।

आयत 102: काफिरों के लिए जहन्नुम की सजा

आयत का अनुवाद:
"तो क्या जिन लोगों ने कुफ्र एख्तियार किया इस ख़्याल में हैं कि हमको छोड़कर हमारे बन्दों को अपना सरपरस्त बना लें (कुछ पूछगछ न होगी)। (अच्छा सुनो) हमने काफिरों की मेहमानदारी के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
काफिरों के लिए जहन्नुम तैयार किया गया है।

हेतु (Reason):
यह आयत काफिरों के लिए एक निश्चित सजा की बात करती है, लेकिन इसका आधार केवल विश्वास है और कोई तर्क या प्रमाण इसमें नहीं दिया गया है। काफिरों के लिए जो भयावह सजा का उल्लेख है, वह न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि "जो भी कर्म करता है, उसे उसके परिणाम का फल मिलता है" (गीता 4.7), जो समग्रता में न्याय के सिद्धांत का पालन करता है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत हेटु तत्व के आधार पर न्याय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती क्योंकि यह किसी व्यक्ति को दंडित करने का आधार केवल विश्वास और आस्थाओं पर रखती है, जबकि तर्क और प्रमाण आधारित सिद्धांतों की आवश्यकता होती है।

आयत 103: कर्मों से घाटे में होना

आयत का अनुवाद:
"(ऐ रसूल) तुम कह दो कि क्या हम उन लोगों का पता बता दें जो लोग आमाल की हैसियत से बहुत घाटे में हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):

कुछ लोग अपने कर्मों से घाटे में होते हैं।

हेतु (Reason):

यह आयत कहती है कि कुछ लोग अपने कर्मों के कारण घाटे में होते हैं, लेकिन यह केवल एक सामान्य कथन है जो बिना व्यावहारिक प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है। यह बात किसी विशेष कर्म या सिद्धांत से संबंधित नहीं है।

उदाहरण (Example):

न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि कर्म का फल सीधे तौर पर उसके कारण और प्रभाव से जुड़ा होता है, जैसा कि गीता में भी कहा गया है (गीता 2.47)।

निगमन (Conclusion):

यह आयत व्याप्ति तत्व के अनुसार कर्मों के कारण होने वाले घाटे को परिभाषित नहीं करती है और इस पर कोई व्यावहारिक उदाहरण नहीं प्रस्तुत करती है।

आयत 104: अच्छे कर्मों का निरर्थक होना

आयत का अनुवाद:

"ये वह लोग हैं जिनकी दुनियावी जिंदगी की राई (कोशिश सब) अकारत हो गई और वह उस ख़ाम ख़्याल में हैं कि वह यकीनन अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):

कुछ लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनका प्रयास निरर्थक है।

हेतु (Reason):

यह कथन बिना किसी प्रमाण या तर्क के व्यक्त किया गया है कि कुछ लोग अच्छे काम करके भी घाटे में रहते हैं। यह सत्य नहीं हो सकता क्योंकि प्रमाणों के बिना इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

उदाहरण (Example):
 वेदांत और गीता में यह कहा गया है कि जो कोई भी कर्मों को भगवान के लिए करता है, उसे सही दिशा मिलती है (गीता 3.16)।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत प्रमाण तत्व के अनुसार उस सामान्य विश्वास का समर्थन नहीं करती है कि सभी अच्छे कर्मों का कोई न कोई परिणाम होता है। इसके बिना तर्क या प्रमाण के यह एक गलत निष्कर्ष है।

आयत 105: क़यामत के दिन कर्मों का मूल्यांकन

आयत का अनुवाद:
 "यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयातों से और (क़यामत के दिन) उसके सामने हाज़िर होने से इन्कार किया तो उनका सब किया कराया अकारत हुआ तो हम उसके लिए क़यामत के दिन मीजान हिसाब भी क़ायम न करेंगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
 हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:
 प्रतिज्ञा (Proposition):
 जो लोग ईश्वर और क़यामत को नकारते हैं, उनके कर्म बेकार हो जाते हैं।

हेतु (Reason):
 यह आयत एक बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण से आती है और यह कहती है कि यदि कोई क़यामत या ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, तो उसके कर्म निरर्थक हो जाते हैं। यह विचार न्याय दर्शन के सिद्धांत से मेल नहीं खाता क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के फल का अधिकार होता है, चाहे वह किसी विश्वास प्रणाली का पालन करता हो या नहीं।

उदाहरण (Example):
 वेदांत के अनुसार, सभी प्राणी आत्मा के रूप में एक होते हैं और उनका उद्देश्य हर स्थिति में आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यही न्यायपूर्ण दृष्टिकोण है, जो आस्थाओं पर निर्भर नहीं है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत हेटु तत्व के अनुसार, किसी व्यक्ति के कर्मों को बिना न्यायपूर्ण विचार के निरर्थक बताती है, जबकि न्याय दर्शन में प्रत्येक कर्म के फल को तर्क और कारण के आधार पर समझा जाता है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
101	**प्रमेय**	**मानव क्षमता को कम करती है, बिना प्रमाण के**
102	**हेतु**	**विश्वास पर आधारित दंड और सजा का तर्क**
103	**व्याप्ति**	**कर्मों के घाटे का तर्क बिना प्रमाण के**
104	**प्रमाण**	**अच्छे कर्मों के फल को बिना प्रमाण के नकारा गया**
105	**हेतु**	**विश्वास न करने वालों के कर्मों को निरर्थक ठहराया गया**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कई तर्कों को बिना प्रमाण और तर्क के प्रस्तुत किया गया है, जो न्याय दर्शन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। सभी कर्मों को केवल विश्वास पर आधारित खंडित दृष्टिकोण से निरर्थक मानना और कर्मों के फल को बिना किसी तर्क के नकारना तात्त्विक दृष्टिकोण से अप्रमाणित है।

आयत 106 - "कुफ्र का परिणाम और सजा"

आयत का अनुवाद: "और सीधे जहन्नुम में झोंक देगें। ये जहन्नुम उनकी करतूतों का बदला है कि उन्होंने कुफ्र एख़्तियार किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों को हँसी ठठ्ठा बना लिया।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): कुफ्र करने वालों को जहन्नुम में डाला जाएगा, और यह उनके कर्मों का परिणाम होगा।**

- हेतु (Reason): आयत यह बताती है कि कुफ्र और ईश्वर की आयतों और रसूलों का मजाक उड़ाने के कारण लोग जहन्नुम में जाएंगे।
- उदाहरण (Example): भारतीय दर्शन में कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार, किसी के कर्मों का फल केवल उसी जीवन में नहीं, बल्कि आगे भी निर्धारित होता है। परंतु, एक दैवीय दंड की अवधारणा के बजाय, कर्म के आधार पर चेतना के विकास की बात की जाती है।
- निगमन (Conclusion): यह आयत कर्मों के आधार पर किसी के अगले जीवन के परिणाम का निर्धारण करती है, जो कि न्याय दर्शन और हिंदू दर्शन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। हिंदू दर्शन के अनुसार, कर्म के फल से जीवन में चेतना का विकास होना चाहिए, न कि स्थायी दंड।

आयत 107 - "इमान और अच्छे कर्मों का परिणाम"

आयत का अनुवाद: "बेशक जिन लोगों ने इमान कुबूल किया और अच्छे-अच्छे काम किये उनकी मेहमानदारी के लिए फिरदौस (बरी) के बाग़ात होंगे जिनमें वह हमेशा रहेंगे।"

चुना गया न्याय तत्व: हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- प्रतिज्ञा (Proposition): जो लोग इमान लाएंगे और अच्छे काम करेंगे, उन्हें स्वर्ग मिलेगा।
- हेतु (Reason): यह आयत इस तथ्य पर आधारित है कि अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग होगा, लेकिन यह तर्क सिर्फ एक नैतिक कर्मफल का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, न कि मानवता के लिए सार्वभौमिक सत्य।
- उदाहरण (Example): भगवद गीता (अध्याय 2, श्लोक 47) में कहा गया है कि कर्मों के परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य और संकल्प है। यहां कर्म के फल के रूप में स्वर्ग की कल्पना की जाती है, जो न्याय दर्शन के विपरीत है, जहां तात्त्विक रूप से कर्म का उद्देश्य आत्म-प्राप्ति है, न कि केवल स्वर्ग प्राप्ति।
- निगमन (Conclusion): यह आयत एक पक्षीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो केवल धर्म के अनुसार कर्मफल का समर्थन करती है, जबकि न्याय दर्शन और गीता के अनुसार कर्मों का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और योग के माध्यम से आत्मा का उन्नति है, न कि केवल स्वर्ग में प्रवेश।

आयत 108 - "स्वर्ग में स्थायित्व"

आयत का अनुवाद: "और वहाँ से हिलने की भी ख़्वाहिश न करेंगे।"

चुना गया न्याय तत्व: व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): स्वर्ग में रहने वाले लोग स्थिर और अपरिवर्तनीय अवस्था में होंगे।**
- **हेतु (Reason): इस आयत में बताया गया है कि स्वर्ग में जाने के बाद, लोग कभी भी वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे, और यह एक स्थिर अवस्था की ओर इंगीत करता है।**
- **उदाहरण (Example): भारतीय दर्शन में, जैसे वेदांत में कहा गया है कि आत्मा की मुक्ति के बाद स्थायित्व नहीं, बल्कि निराकार और निरंतर परिवर्तन की अवस्था होती है। यह आयत इस दृष्टिकोण के विपरीत है।**
- **निगमन (Conclusion): यह आयत किसी स्थायी, अपरिवर्तनीय अवस्था का समर्थन करती है, जबकि भारतीय दर्शन के अनुसार मुक्ति में बदलाव और परिवर्तन का तत्व होना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपनी चेतना का उच्चतम रूप प्राप्त कर सके।**

आयत 109 - "ईश्वर की बातों का असीमित विस्तार"

आयत का अनुवाद: "(ऐ रसूल) कहो कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के (लिखने के) वास्ते समन्दर (का पानी) भी सियाही बन जाए तो क़ब्ल उसके कि मेरे परवरदिगार की बातें ख़त्म हों समन्दर ही ख़त्म हो जाएगा अगरचे हम वैसा ही एक समन्दर उस की मदद को लाँए।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): ईश्वर के वचनों की विस्तृति का कोई अंत नहीं है, और उनका लेखन असीमित है।**
- **हेतु (Reason): आयत में यह बताया गया है कि यदि समुद्र का पानी सियाही के रूप में उपयोग हो तो भी ईश्वर की बातें समाप्त नहीं हो सकतीं।**
- **उदाहरण (Example): भारतीय दर्शन के अनुसार, ज्ञान और सत्य की कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह भी माना जाता है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य आत्मा के सत्य का पता लगाना है, न कि निरंतर भौतिक विस्तार।**

- **निगमन (Conclusion): यह आयत इस बात की ओर इशारा करती है कि ईश्वर के वचन अनंत हैं, लेकिन न्याय दर्शन में यह तर्क तब तक सही नहीं माना जा सकता जब तक वह तर्क अनुभवजन्य प्रमाण से समर्थित न हो।**

आयत 110 - "ईश्वर की एकता और इबादत"

आयत का अनुवाद: "(ऐ रसूल) कह दो कि मैं भी तुम्हारा ही ऐसा एक आदमी हूँ (फक़र् इतना है) कि मेरे पास ये वही आई है कि तुम्हारे माबूद यकता माबूद हैं तो वो शख़्स आरज़ूमन्द होकर अपने परवरदिगार के सामने हाज़िर होगा तो उसे अच्छे काम करने चाहिए और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न करें।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): ईश्वर की एकता का विश्वास और अच्छे कार्य करना अनिवार्य है।**
- **हेतु (Reason): यह आयत यह बताती है कि ईश्वर की एकता स्वीकारने और अच्छे कार्य करने से ही मोक्ष या पुण्य प्राप्त होगा।**
- **उदाहरण (Example): भगवद गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भगवान की एकता में विश्वास और अच्छे कार्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके साथ आत्मा की उन्नति की आवश्यकता भी है, न कि केवल एकता का विश्वास और कार्यों का पालन।**
- **निगमन (Conclusion): यह आयत एक एकल दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें ईश्वर की एकता और अच्छे कार्यों पर जोर दिया गया है, लेकिन यह न्याय दर्शन में तात्त्विक दृष्टिकोण की कमी का प्रतीक है, क्योंकि केवल कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और विवेक का भी विकास महत्वपूर्ण है।**

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
106	प्रमेय	कर्मों का आधार और कर्मफल का सिद्धांत अनुभवजन्य प्रमाण से मेल नहीं

		खाता।
107	**हेतु**	**कर्मों का उद्देश्य केवल स्वर्ग प्राप्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए, आत्मा की उन्नति आवश्यक है।**
108	**व्याप्ति**	**स्वर्ग की स्थिरता की अवधारणा भारतीय दर्शन के परिवर्तनशील दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती।**
109	**प्रमाण**	**ईश्वर के वचन का असीमित विस्तार प्रमाण से नहीं समर्थित।**
110	**प्रमेय**	**ईश्वर की एकता में विश्वास और कर्मों का पालन महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मा की शुद्धता की आवश्यकता को नकारा गया है।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कर्म और ईश्वर के वचनों का सिद्धांत तो प्रस्तुत किया गया है, लेकिन तात्त्विक दृष्टिकोण में यह दर्शन न्याय और भारतीय दर्शन से मेल नहीं खाता, जहां आत्मा की उन्नति, कर्म की शुद्धता, और चेतना का विकास महत्वपूर्ण है।